卐 श्री सदगुरू देवाय नमः卐 卐ओ३म्卐 卐जय माता दी卐
卐 सीताराम बाबा जी卐卐जय बाबा की卐卐श्याम बाबा卐卐
卐 ! जाके सुमिरन तें रिपु नासा!! ! नाम सत्रुहन बेद प्रकासा!! 卐

उल्लंघ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं,यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः। आदाय तेनैव ददाह लंकां,नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्।
मनोजवं मारुत तुल्य वेगं,जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये।

केन्द्र व उत्तरांचल सरकार से विज्ञापन मान्यता प्राप्त

हिन्दी सान्ध्य दैनिक

उत्तरांचल दर्पण

♦वर्ष 24 ♦अंक 121 ♦पृष्ठ 8 ♦रूद्रपुर(ऊधमसिंहनगर) ♦बृहस्पतिवार ♦8 फरवरी 2024 ♦मूल्य दो रूपया

darpan.rdr@gmail.com 9897427585 UTTARANCHAL DARPAN www.uttaranchaldarpan.in

GAGNEJA PROPERTIES
CONTACT FOR SALE, PURCHASE RENT & LEASE
✔ Shops ✔ Houses
✔ Industrial Property
✔ Commercial Property
✔ Agriculture Land
REAL ESTATE WITHOUT THE HASSLE
MO.-8630672525,8279444462
ADD- SRA F69, Shop No.4, Adarsh Colony, Rudrapur

हल्द्वानी में नगर निगम का जेई रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। विजिलेंस टीम ने भ्रष्टाचार पर एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के जेई को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम जेई के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी है। जानकारी के अनुसार खष्टी बल्लभ उपाध्याय पुत्र रमेश चंद्र उपाध्याय निवासी हेड़ा मंदिर कटघरिया नगर निगम में जेई के पद पर तैनात है। बताया जाता है कि जेई खष्टी बल्लभ ने स्ट्रीट लाइट के मेंटेनेंस के नाम पर कंपनी से 25 हजार की रिश्वत की मांग की थी। मामले को लेकर कंपनी के लोगों ने विजिलेंस टीम से शिकायत की। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाये जाने पर जेई को रंगे हाथ गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित की गयी। गुरूवार को ट्रेप टीम ने नगर निगम परिसर में जेई को रिश्वत लेने के दौरान रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस की इस कार्यवाही से नगर निगम में हड़कम्प मच गया। फिलहाल जेई के खिलाफ आगे की कार्रवाई की तैयारी (शेष पृष्ठ सात पर)

साथियों ने की थी विशाल की हत्या, दो गिरफ्तार

गदरपुर(उद संवाददाता)। पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा करते हुए 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया है। एसपी क्राईम चन्द्रशेखर गोडके ने तीन दिन पूर्व जसपाल उर्फ विशाल हत्याकाण्ड का खुलासा करते हुये बताया कि 4 फरवरी को

धर्मेन्द्र सिंह पुत्र बचन सिंह निवासी ग्राम कौशलपुर थाना गदरपुर द्वारा थाना गदरपुर में तहरीर दी गई। जिसमे कहा गया कि 3 फरवरी को डीजे (शेष पृष्ठ सात पर)

अलग अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत

हल्द्वानी(उद संवाददाता)। अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय प्रकाश तिवारी पुत्र भीम दत्त तिवारी निवासी चकरपुर, खटीमा बीते दिवस बाजार से घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। उसे उपचार के लिए नजदीकि अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देख प्राथमिक उपचार के बाद डॉ सुशीला तिवारी अस्पताल के लिए रैफर कर दिया। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना में डंपर चालक की मौत हो गई। बताया जाता है कि मूलरूप से मुजफ्फर नगर निवासी मनोज पुत्र शिव कुमार शर्मा यहां शीशमहल गेट में डंपर चलाता था। बताया जाता है कि वह बीती शाम डंपर में अचेत पड़ा मिला। उसे पुलिस ने एसटीएच भेजा। जहां चिकित्सकों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

ट्रक की टक्कर से युवती की मौत

रूद्रपुर (उद संवाददता)। गदरपुर रोड हाईवे पर सड़क पार कर रही युवती को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में युवती की मौके पर ही मौत हो गयी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका मूल रूप से बरेली की रहने वाली थी। जानकारी के अनुसार 18 वर्षीय बबली सागर पुत्री मान सिंह निवासी हमीरपुर तूलिया सीबीगंज बरेली यहां डिबडिबा में उत्तराखण्ड की सीमा पर स्थित यूपी के डिबडिबा क्षेत्र में किराये के मकान में रह रही थी। रोजाना की तरह वह शाम को कंपनी में काम करके कमरे पर लौट रही थी। गदरपुर रोड ग्रीन पार्क के पास सड़क पार करते समय तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गयी। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गयी। लोगों ने वाहन चालक को मौके पर पकड़ लिया। सूचना पर महिला एसआई नेहा राणा, कांस्टेबल (शेष पृष्ठ सात पर)

पारिवारिक कलह में युवक ने लगाई फांसी

रूद्रपुर (उद संवाददाता)। गत रात्रि मौहल्ला रम्पुरा में पारिवारिक कारणों से एक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के अनुसार मौहल्ला रम्पुरावार्ड 22 निवासी 19 वर्षीय अजय दिवाकर पुत्र टीकाराम मजदूरी का काम करता था। बताया जाता है कि उसका किसी बात को लेकर अपने पिता से झगड़ा हो गया। जिसके बाद वह गुस्से में आकर अपने कमरे में चला गया और फांसी लगा ली। कुछ देर बाद जब परिजन उसके कमरे में गये तो अजय को फांसी के फंदे पर लटका देखा। (शेष पृष्ठ सात पर)

संदिग्ध हालातों में युवक की मौत

रूद्रपुर (उद संवाददाता)। संदिग्ध हालातों में तबियत बिगड़ने से एक युवक की मौत हो गयी। सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। पुलिस मौत के कारणों की छानबीन कर रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली निवासी 40 वर्षीय अमित शर्मा यहां किच्छा रोड तीन पानी पर निर्माणाधीन रेस्टोरेंट पर रह रहा था। कुछ दिन पहले ही यहां पर आया था। इससे पहले किच्छा में काम करता था। बुधवार रात उसकी अचानक तबियत बिगड़ गयी। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल ले जाया(शेष पृष्ठ सात पर)

भ्रष्ट अधिकारियों व माफियाओं को संरक्षण दे रहे शुक्ला : बेहड़

किच्छा विधायक ने पुलिस कप्तान पर भी लगाया अवैध वसूली कराने का आरोप

रूद्रपुर (उद संवाददाता)। किच्छा विधानसभा क्षेत्र के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ ही खनन, भू तथा कबूतरबाज माफियाओं को पूर्व विधायक खुला संरक्षण देकर न सिर्फ अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं साथ ही भाजपा व मुख्यमंत्री को बदनाम भी कर रहे हैं। यहां अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते किच्छा विधानसभा के विधायक तिलकराज बेहड़ ने कहा कि पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र देकर अधिकारियों पर दबाव बनाने का जो आरोप लगाया है,वह पूरी तरह से बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि वास्तविकता तो यह है कि पूर्व विधायक क्षेत्र के भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत से पूर्व ही पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के कई विकास कार्यों के लिए 26 जुलाई 2023, 5अगस्त 2023, 18 सितम्बर 2023, 27 सितम्बर 2023, 31 अक्टूबर 2023,11 दिसम्बर 2023 को पत्र लिखे जो बिना किसी कार्रवाई के मूल रूप में उन्हें वापस भेज दिये गये। जो विशेषाधिकार हनन का मामला है जिसे वह विधानसभा में उठायेंगें। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के कहने पर अपने क्षेत्र में कम्यूनिटी हॉल, सामुदायिक भवन, फायर ब्रिगेड, राजकीय इंटर कालेज, मुख्य चौराहों का चौड़ीकरण, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण सहित कुल दस प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे। जिनमें मुख्यमंत्री द्वारा पंतनगर विवि में सड़क निर्माण, फायर ब्रिगेड व वर्तमान कालेज भवन में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कर उच्चीकरण करने के आदेश दिये गये। यह बात पूर्व विधायक को नहीं पच रही। उन्होंने कहा कि श्री शुक्ला पंतनगर विश्वविद्यालय की समिति में कई वर्षो से सदस्ये के रूप में है लेकिन उन्होंने क्षेत्र में सड़कों के निर्माण की तरफ कोई ध्यान नही दिया। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सड़क बनाने के निर्देश से वह अचम्भित है। श्री बेहड़ ने कहा कि किच्छा विधान सभा में खनन का जो अवैध कारोबार खुलेआम हो रहा है उसे कौन संरक्षण दे रहा है। एक पूर्व प्रधान किसकी शह पर हर खनन वाहन से 80 हजार वसूल रहा है। भूमाफियाओं और कबूतरबाजों को कौन संरक्षण दे (शेष पृष्ठ सात पर)

उत्पीड़न के खिलाफ व्यापार मण्डल ने एआरटीओ को घेरा

रूद्रपुर (उद संवाददाता)।व्यापारियों के उत्पीड़न के खिलाफ व्यापार मंडल ने एआरटीओ निखिल शर्मा का घेराव किया और भविष्य मे सुधार नही किए जाने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े अनेकों व्यापारी गुरूवार को एआरटीओ कार्यालय जा धमके। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि विभाग के अधिकारी बिना वजह व्यापारियों की गाड़ियों के चालान कर रहे हैं जिससे व्यापारियों को व्यापार करने मे भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि व्यापारियों का प्रतिनिधि विभाग के अधिकारी से फोन पर बात करवाना चाहता हैं तो विभाग के अधिकारी अभद्र व्यवहार करते हैं (शेष पृष्ठ सात पर)

अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैलाने वाला गिरफ्तार

काशीपुर(उद संवाददाता)। अवैध खनन को लेकर गाली गलौज मारपीट व जान से मारने की धमकी देते हुए ताबड़तोड़ तरीके से की गई फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार करते हुए जरूरी पूछताछ के बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2023 की 29 दिसंबर को ग्राम घोसीपुरा पट्टी थाना स्वार जनपद रामपुर उत्तर प्रदेश निवासी सद्दाम हुसैन पुत्र शब्बीर हुसैन ने आईटीआई पुलिस को तहरीर देकर बताया कि खनन सामग्री से भरे ओवरलोड वाहनों के गांव की सड़कों से निकलने को लेकर वह लोग टेंट लगाकर शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसी विरोध (शेष पृष्ठ सात पर)

अंतराज्यीय चोर गिरोह का शातिर सदस्य गिरफ्तार

चोरी की दो ट्रैक्टर ट्रालियां बरामद,पूर्व में भी दर्ज हैं आधा दर्जन गंभीर मामले

काशीपुर(उद संवाददाता)। कुंडा पुलिस ने अंतराज्यीय चोर गिरोह की एक सदस्य को गिरफ्तार कर उसकी निशान देही पर चोरी की दो ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद किया। ज्ञातव्य है कि चार दिन पूर्व थाना क्षेत्र से एग्रीकल्चर वर्क नमक प्रतिष्ठा के सामने से अज्ञात चोरों द्वारा ट्रैक्टर ट्राली उड़ा दी गई। बीते 5 फरवरी को इस मामले में केसरीपुर थाना कुंडा निवासी हरपाल सिंह पुत्र बलविंदर सिंह की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली को रिपेयर करने तथा उसमें ग्रेसिंग करने के लिए उसने बीते 26 जनवरी को गढ़ी नेगी स्थित वकील हुसैन के प्रतिष्ठान एग्रीकल्चर वर्क्स के सामने खड़ी कर दी। इस दौरान घात (शेष पृष्ठ सात पर)

मुरादाबाद अमरोहा तथा मेरठ में लगाता था ठिकाने

काशीपुर(उद संवाददाता)। अभियुक्त इदरीश ने पूछताछ करने पर बताया कि उत्तराखंड व बिजनौर मुरादाबाद के ग्रामीण क्षेत्रो मे अकेले जाकर सुनसान जगह पर खडे वाहन जिसके आसपास सीसीटीवी कैमरे ना हो का घटना से एक दिन पूर्व जाकर निगरानी करता था तथा इसके अगले दिन ही वह अपनी चोरी की घटना को अंजाम देता था। चोरी किये गये वाहनो को अच्छे दाम मे मुरादाबाद (शेष पृष्ठ सात पर)

समानता का अधिकार हमारे संविधान में निहित : धामी

सीएम धामी ने सदन को संबोधित किया: उत्तराखंड का यूसीसी कानून सभी वर्गो के लिये कल्याणकारी सिद्ध होगा, इस ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनते हुए प्रत्येक नागरिक को गर्व की अनुभूति हो रही है

देहरादून(उद ब्यूरो)। देवभूमि उत्तराखांड में धामी सरकार के ऐतिहासिक यूसीसी कानून विधानसभा से पारत हो गया है। बुधवार को विध ानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक पर चर्चा के पश्चात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने सदन में संबोधित करते हुए कहा कि आज समूचे देश के समक्ष हम एक अपेक्षा के साथ आगे बढ़ रहे है। समस्त प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं इस ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनते हुए प्रत्येक नागरिक को गर्व की अनुभूति हो रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दो वर्ष से दस दिन पहले ही समिति ने हमे ड्राफ्ट सौंपा है। यह पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हम सभी के अधिकारों का सम्मान करेंगे। देश की एकता के लिए समान नागरिक कानून अनिर्वाय होना चाहिये। यह हमारे संविधान में निहीत है। मने कहा कि बहुत सारी बाते हुई है 2022 के चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष एक वायदा किया था। समान नागरिक संहिता कानून बनाने के लिए सरकार को जनता ने आशीवार्द दिया है। देवभूमि में देवताओं की पुण्य भूमि है सैनिको की भूमि है। उत्तराखंड में किसी भी जाति का नागरिक हो एक समान कानून होना चाहिये। राज्य स्थापना के बाद राज्य के अंदर हर चुनाव में एक परिपाटी थी एक बार एक पार्टी की सरकार बनती है लेकिन दूसरी बार लगातार सरकार बनाकर भाजपा ने पीएम मोदी के नेतृत्व में इतिहास रचा है। हमने सभी धर्मो को एकता के सूत्र में बांधने का काम कर रहे है। यूसीसी समित के सदस्यों का धन्यवाद करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार जनसंवाद के माध्यम से महिलाओं को समानता का अधिकार मिल रहा है। यह ऐतिहासिक यूसीसी कानून सभी वर्गो के लिये कल्याणकारी सिद्ध होगा। सभी की उन्नति में हम सब एक होकर श्रेष्ठ कर्म के लिए आगे बढ़े। सभी को समान मानकर लोगों को अधि कार देना चाहिये। अभी एक शुरूआत हो रही है। मातृशक्ति के उत्थान, सशक्तिकरण और सम्मान के लिए पहल चलती रहेगी। हमे राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमे किसी के साथ भेदभाव न हो। जैसे भगवान श्री राम के राज में हुआ है। सीएम धामी ने कहा कि अब समय आ गया है महिलाओं के साथ भेदभाव दूर हो अब समय आ गया है हमारी मातृशक्ति को सम्पूर्ण न्याय दिया जाये आज जो काम हमारी विध ानसभा कर रही लेकिन में दावे के साथ कहता हू जो इस कानून को बनाने में योगदान दे रहा है वह पुण्य का भागी बन रहा है। आजादी से पहले हमारे देश में

अंग्रेजों के शासनमें व्यवस्था फूट डालो राज करो की नीति रही है। सबके लिये एक समान कानून नहीं बनाया गया। हमेशा समाज को बांटने का काम किया । सदियों से जो असमानता दंश लोग झेल रहे थे। संविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्य की पूर्ती की है। समय आने पर राज्य समान कानून बना सकते है। उत्तराखंड में विद्वानों के सुझाओं के अनुरूप कानून बनाया गया है। हमारे सामाजिक ढंचे को मजबूत बनाने का काम करता है मां गंगा को राजा भगीरथ धरती पर लेकर आये थे। आज उत्तराखंड से धरती पर अवतरित पतित पावन गंगा की तरह यूसीसी भी लोगों के जीवन के लिए कल्याणकारी बनेगा। उत्तराखंड बाबा केदार बदरी विशाल और ऋषि मुनियों की भूमि है। हमारे राज्य से धार्मिक स्थल गौरव प्रदान करते है। हमारी देवभूमि वीर भूमि भी। है। हम सबका कर्तव्य है कि एक समृद्ध समाज का निर्माण हो। जिस प्रकार ऋगवेद में कहा गया है हम सब समान है एक होकर श्रेष्ठकर्म के लिए आगे बढ़े। हम सभी समान विचार और व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़े। समान नागरिक संहिता भी यही है। अब सभी वर्गो के लिए एक अधिकार होगा। बच्चों को भी उत्तराधिकार मिलेगा। सीएम ध ामी ने कहा कि देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनायें शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के नौ जिलों में ढाई लाख से भी अधिक महिलाओं और बेटियों से मिला हूं। उनका स्नेह और उत्साह सरकार के साथ है। सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने यूसीसी बिल के बारे मे जब अपनी माताजी को बताया तो उन्होंने कहा कि यह तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिये थे। सीएम धामी ने कहा कि आगे भी लोगों के सुझाव आने पर काम किया जायेगा। उन्होंने कहा कि देश को मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ सोच और कर्म से कोरोना जैसी महामारी की चुनौतियों से मुक्ति मिली है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी विधिक प्रक्रिया और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। विधेयक में सभी धर्म- समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक कानून का प्रावधान है। महिला-पुरुषों को समान अधिकारों की सिफारिश की गई है। अनुसूचित जनजातियों को इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया है। विधेयक पर चर्चा के दौरान नेता सदन मुख्यमंत्री धामी ने कहा, देश के पहले गांव माणा में संवाद से ड्राफ्ट समिति ने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने अब अन्य राज्यों को भी इस दिशा में प्रयास करने का आह्वान करते हुए कहा, जिस प्रकार गंगा सबके लिए सुखदायी है, वैसे ही यूसीसी भी मातृशक्ति व पूरे समाज के लिए सुखद होगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, विधानसभा चुनाव के दौरान 12 फरवरी 2022 को उन्होंने जनता के सामने दोबारा सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता कानून लाने का संकल्प लिया था। आज करीब दो साल बाद सात फरवरी को यह संकल्प सिद्ध हो गया है। जनता ने जिस मकसद से उन्हें चुना, वह समानता का अधिकार सबको मिलने जा रहा है। कहा, इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर न देखें। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस रामयुग की शुरुआत हुई है, यूसीसी उसमें एक बड़ी पहल साबित होगा। यह देश के लिए मील का पत्थर बनेगा। कहा, प्रधानमंत्री राष्ट्रऋषि नरेंद्र मोदी विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। उनके नेतृत्व में यह देश तीन तलाक और अनुच्छेद-370 जैसी ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के पथ पर है। समान नागरिक संहिता का विधेयक प्रधानमंत्री के देश को विकसित, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे यज्ञ में उत्तराखंड की ओर से अर्पित की गई एक आहुति मात्र है। इस विधेयक में जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।

प्रदेश की अनुसूचित जनजाति से संबध रखने वाली महिलाऐं को भी मिले समान अधिकार : यशपाल आर्य

देहरादून। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने यूसीसी को लेकर विपक्ष की राय नहीं लेने पर सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने

समान नागरिक संहिता के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई समिति का गठन किया। 13 महिनों में इस समिति ने आपकी सरकार को रिपोर्ट सोंप दी। समिति ने दौरे किए, लोगों से मिली, राय ली आनलाइन भी विचार लिए। लेकिन क्या कहीं पर समिति ने सार्वजनिक रुप से विभिन्न समामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों को अपना ब्लू-प्रिंट बताया ? यह बताना समिति का कर्तव्य था कि , किन- किन कानूनों को समिति समान नागरिक संहिता में सम्मलित कर रही है। हमारे दल कांग्रेस ने दो बार समिति को पत्र लिखकर उससे मसौदा मांगा लेकिन समिति ने कोई जबाब नहीं दिया। जिस देश में अभी भी आपराधिक कानून सहित अनेकों कानून तक अभी समान नहीं हैं , वहां कोई कैसे कल्पना के आध ार पर ही ''समान नागरिक नागरिक संहिता'' पर अपने विचार दे सकता है। यदि समिति ने कोई ब्लू-प्रिंट दिया होता तो अनेकों व्यवहारिक और मूल्यवान विचार सामने आते।अब नागरिक कानूनों याने सिविल कोड की चर्चा भारत के संविधान के परिपेक्ष्य में करना जरुरी है। संविधान में राज्य और केन्द्र के बीच कानून बनाने की शक्तियों का बंटवारा हुआ है। समान नागरिक संहिता से जुड़े सिविल कानून भारत के संविधान की समवर्ती सूची के इंट्री संख्या 5 में है। याने इन विषयों पर केन्द्र के अलावा राज्य भी कानून बना सकते हैं। इसलिए यदि आप इसे विधेयक के रुप में लाए हैं तो आपने कोई गलती नहीं की है। लेकिन याद रखिए समवर्ती सूची में रखे विषयों पर यदि केन्द्र और राज्य के कानूनों में टकराव होता है तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 254(1) के अनुसार केन्द्र के कानून को प्राथमिकता दी जायेगी। पर पहले इस समान नागरिक संहिता में समान शब्द का परीक्षण तो कर लें। प्रेस के माध्यम से पता चला है कि, आपका कानून महिलाओं को लैंगिग समानता देने के उद्देश्य से लाया गया विधेयक है । यदि ऐसा है तो आप इस समानता के अधिकार से उत्तराखण्ड की अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को क्यों दूर रख रहे हैं ? क्या प्रदेश की 4 प्रतिशत जनसंख्या से संबध रखने वाली महिलाऐं आपकी कथित लैंगिक समानता की हकदार नहीं थीं ? मेरा तो यह मानना है कि, हमारे प्रदेश की अनुसूचित जनजाति से संबध रखने वाली महिलाऐं बहुत ही प्रगतिशील हैं। उन्होंने हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़े हैं। फिर उनके साथ यह भेद-भाव क्यों किया गया। या सरकार में सम्मलित कुछ महत्वपूर्ण लोगों की विध ानसभाओं में चुनाव के राजनीतिक समीकरण को बिगड़ने के डर से आपने इन महिलाओं को छोड़ दिया ? जब प्रदेश की 4 प्रतिशत जनता पर यह कानून लागू ही नहीं होगा तो फिर क्यों इस समान नागरिक संहिता कहा जा रहा है ?

कल से गांवों में प्रवास करेंगे भाजपा के दिग्गज

देहरादून (उद संवाददाता)। गांव चलो अभियान के तहत कल से मुख्यमंत्री समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता गांवों में प्रवास करेंगे। पार्टी ने इसके लिए मुख्यमंत्री और मंत्रियों सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। 9 से 11 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोहाघाट विधानसभा के कमलेडी गांव एवं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बदरीनाथ विधानसभा के पांडुकेश्वर जोशीमठ में प्रवास करेंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि पार्टी के सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रदेश के 11729 बूथों पर 24 घंटे प्रवास करेंगे। इस दौरान वे स्थानीय कार्यकर्ताओं एवं जनता के माध्यम केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। साथ ही योजनाओं के लाभार्थियों का अनुभव साझा करते हुए अन्य लोगों को भी लाभार्थी बनने में मदद करेंगे और जनता के सामने आ रही समस्याओं के निराकरण का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम के तहत केंद्रीय राज्यमंत्री अजय भट्ट नानकमत्ता के पीपलिया पिस्तोर गांव में, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज हरिद्वार ग्रामीण के जमालपुर कला में, प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश के प्रतीनगर में, डॉ. धन सिंह रावत श्रीनगर के पल्ली में, गणेश जोशी मसूरी के गुनियाल में, रेखा आर्य सोमेश्वर के सुपा कोट गांव में प्रवास करेंगे। बिशन सिंह चुफाल डीडीहाट के बलपीर में, बंशीधर भगत कालाढुंगी के नारायणनगर में, मदन कौशिक हरिद्वार में, रमेश पोखरियाल निशंक ज्वालापुर की डालूवाला में, अजय टम्टा अल्मोड़ा के रेलापानी में, नरेश बंसल भगवानपुर के सिकरौड़ा में, डॉ. कल्पना सैनी पिरान कलियर के ब्रह्मपुर गांव में प्रवास करेंगे। कुल 29 पार्टी पदाधिकारियों के प्रवास के गांव तय किए गए हैं।

समान नागरिक संहिता से लिव इन रिलेशन को मिलेगा बढ़ावा

अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप नहीं है यूसीसी विधेयक , विवादों में फंस सकता है कानून: एड.नदीम

काशीपुर(उद संवाददाता)। उत्तराखंड विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 के कानून बन जाने पर प्रदेश में लिव इन रिलेशन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त जनजातियों पर लागू न होने के चलते प्रदेश में भी संविधान के अनुच्छेद

44 की भावना 'एक देश एक कानून' के अनुरूप नहीं हैं। केन्द्र के कानूनों हिन्दू विवाह, उत्तराधिकार अधिनियम, शरीयत एक्ट तथा संवैधानिक मूल अधिकारों से असंगत प्रावधानों के चलते यह कानून नये कानूनी विवादों में फंस जायेगा। विवाह सम्बन्धी कानून सहित 44 कानूनी पुस्तकों के लेखक, पूर्व लॉ लैक्चरर तथा सूचना अधिकार कार्यकर्ता एडवोकेट नदीम उद्दीन ने उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता विधेयक पर टिप्पणी करते हुये यह आशंकायें व्यक्त की है। श्री नदीम ने बताया कि संहिता के भाग 3 में धारा 378 से 389 तक सहवासी संबंध (लिव इन रिलेशन) सम्बन्धी प्रावधान शामिल किये गये हैं। इसमें जहां ऐसे संबंधों को कानूनी मान्यता दे दी गयी हैं, वहीं ऐसे संबंध में जन्मे बच्चों को वैध बच्चा मान लिया गया है तथा पुरूष साथी द्वारा छोड़ने पर महिला को भरण पोषण का अधिकार दे दिया गया है। संहिता में सभी धर्मों के लिये तलाक या विवाह विच्छेद को तो कठिन बना दिया गया है लेकिन लिव-इन रिलेशन में रहने वाला एक व्यक्ति भी ध ारा 384 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार के समक्ष कथन प्रस्तुत करके संबंध कभी भी समाप्त कर सकता है जबकि दोनों की मर्जी से तलाक के लिये विवाह से कम से कम अठारह माह का इंतजार करना पड़ेगा और न्यायालय के चक्कर भी काटने पडेंग्गे। ऐसी अवस्था में युगल शादी के स्थान पर लिव इन रिलेशन में रहना पंसद करेंगे। जिसे प्रारंभ करना तथा समाप्त करना दोनों आसान हैं और इसमें सम्बन्ध समाप्त करने का कोई कारण भी नहीं बताना है। इससे भारतीय विवाह संस्था को नुकसान पहुंचेगा तथा ऐसे सम्बन्धों से जन्मे बच्चों का भविष्य भी खतरे में रहेगा। उत्तराखंड 2024 विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप नहीं हैं क्योंकि राज्य से पास होने के चलते केवल विधानसभा की कानून बनाने की अधिकार सीमा उत्तराखंड राज्य क्षेत्र के अन्दर यह लागू हो सकता है, पूरे देश में नहीं। इसके अतिरिक्त इसकी धारा 2 के अनुसार अनुसूचित जनजाति तथा संविधान के भाग 21 (विशेष उपबंध) के अन्तर्गत संरक्षित समूहों पर भी यह लागू नहीं होगा। इसलिये अनुच्छेद 44 के देश के सभी नागरिकों के लिये एक समान कानून की भावना के अनुरूप नहीं है। श्री नदीम के अनुसार संहिता के जिन विषयों पर कानून बनाया गया है वह संविधान की समवर्ती सूची के विषय है जिस पर केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों दोनों को कानून बनाने का अधिकार है लेकिन अनुच्छे 254(1) के प्रावधानों के अनुसार संबंधित विषय पर संसद की विधि से असंगत राज्य विध ान मंडल द्वारा पारित कानून शून्य होता है। संहिता से संबंधित विषयों पर हिन्दू विवाह अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम तथा शरीयत एक्ट सहित विभिन्न केन्द्र सरकार के कानूनों व समय-समय पर संसद द्वारा संशोधित काननों के चलते इस विषयों पर यह संहिता कानूनी विवादों में फंसी रहेगी। यद्यपि विवाह, तलाक रजिस्ट्रेशन तथा लिव इन रिलेशन से सम्बन्धी संसद का जब तक कोई कानून पारित नहीं हो जाता, तब तक यह राज्य में लागू हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त इसके विभिन्न प्रावधनों के संवैधानिक मूल अधिकारों से असंगत होने के चलते भी कानूनी विवादों का विषय रहेगा। श्री नदीम ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 के अन्तर्गत राज्य का विधान मंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिये कानून बना सकता है लेकिन वह राज्य के निवासियों पर अन्य राज्य क्षेत्रों के देश से बाहर किये जाने वाले कार्यो पर कोई कानून लागू नहीं कर सकता है। जबकि संहिता की 1(3) के अन्तर्गत राज्य के बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर भी संहिता का लागू किया गया है। ध ारा 3(3) के अन्तर्गत निवासी के अन्तर्गत स्थायी निवासी ठहराये जाने का पात्र, राज्य सरकार/संस्था का स्थायी कर्मचारी, राज्य के क्षेत्र के भीतर कार्यरत केन्द्र सरकार या उसके उपक्रम/संस्था का स्थायी कर्मचारी, राज्य में कम से कम एक वर्ष से निवास कर रहा व्यक्ति तथा राज्य में लागू राज्य या केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभार्थी शामिल है। राज्य के निवासी की पहली बार दी गयी कानूनी परिभाषा से उसके आधार पर केवल एक वर्ष से निवास करने वाला दूसरे राज्य का व्यक्ति भी राज्य की नौकरियों पर पात्रता का दावा प्रस्तुत करेगा। इससे एक नये विवाद को जन्म मिलेगा। जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(3) में राज्य की नौकरियों में केवल निवास की शर्त लगायी जा सकती है, न कि स्थायी निवास या मूल निवास की लेकिन अभी तक उत्तराखंड निवासी की विधिक परिभाषा न होने के चलते इसके स्थान पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारकों को लाभ दिया जा रहा है। श्री नदीम ने यह भी आशंका व्यक्त की है कि सभी वर्गों की तलाक का निर्णय न्यायालय द्वारा करने तथा किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक विवाह दण्डनीय अपराध बनाने के चलते न्यायालयों में कार्यों का और भार बढ़ेगा जिससे वर्तमान में तलाक के लिये न्यायालय के चक्कर काट रहे लोगों को अपनी जवानी के और कुछ साल इसके इंतजार में बर्बाद करने पड़ेंगे।

रेरा एप्रूव्ड कालोनी
30 से 60 तक चौड़ी सड़कें,
बड़े-बडे पार्क, गेट बंद कालोनी
90 प्रतिशत तक ऋण सुविधा,
सीवरेज, स्ट्रीट लाईट

डायनामिक गार्डन सिटी
तोमर कंस्ट्रक्शन
श्री राधा स्वामी सत्संग घर गेट नं. 7 के सामने किच्छा रोड, रूद्रपुर
मोबा. 9557222289,7088169159

☛ 100 से 400 गज तक के प्लाट
☛ 100,160, 200 गज विला
☛ खरीदने व बेचने हेतु सम्पर्क करें।
100 से अधिक परिवार रह रहे हैं

972 ग्राम अफीम के साथ दो गिरफ्तार

सितारगंज(उदस ंवाददाता)। कोतवाली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 972 ग्राम अवैध अफीम के साथ दो अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा।कोतवाली अंतर्गत चौकी सरकड़ा के उप निरीक्षक सुरेंद्र प्रताप बिष्ट, कांस्टेबल विनीत कुमार एवं गिरीश चंद्र अपने निजी वाहन पर सवार होकर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गस्त पर थे कि तभी, मुंडलीया गांव से लगभग 800 मीटर पहले, पीलीभीत अमरिया सितारगंज हाईवे पर बॉर्डर के पास अमरिया की तरफ से मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। रोकने पर दोनों मोटरसाइकिल सवार भागने का प्रयास किया परंतु पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्तियो को दबोच लिया। शक होने पर दोनों की पुलिस ने तलाशी ली।

जिस पर उनके कब्जे से 972 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुए। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर दबोचे गए व्यक्ति ने अपना नाम पंडरी निवासी 20 वर्षीय मुख्तियार अहमद एवं 23 वर्षीय मोहम्मद शोएब बताया। पुलिस ने अवैध रूप से अफीम अभी वहां करने वाले मोटरसाइकिल संख्या यू के06 बीएफ 5829 को भी अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें जेल भेजा। गिरफ्तारी टीम में उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह बिष्ट, कांस्टेबल विनीत कुमार, एवं गिरीश चंद्र शामिल थे।

चार के खिलाफ विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज

काशीपुर(उदसंवाददाता)। विद्युत चोरी के आरोप में पुलिस ने तहरीर के आधार पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को तहरीर देकर विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि ग्राम खाईखेड़ा थाना आईटीआई निवासी अजमेर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, सूरज सिंह पुत्र स्वर्गीय जागीर सिंह, महिपाल सिंह पुत्र लल्लू सिंह तथा यहीं के गुरमीत सिंह पुत्र करनैल सिंह पिछले लंबे समय से एल लाइन में कटिया डालकर विद्युत चोरी किया करते थे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर उपरोक्त चारों के खिलाफ धारा 135 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

क्या अंग्रेजी दवाईयां आपका रोग ठीक करने में नाकाम हैं तो मिलें–
विजय आयुर्वेद क्लीनिक
पंचकर्म सेन्टर
निम्न रोगों के इलाज में 16 वर्षों का अनुभवः–
पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, मानसिक विकार,निःसन्तान स्त्री-पुरूष की सभी चिकित्सायें, ट्यूब ब्लॉक, सिस्ट, कीटाणु की कमी आदि। डिस्क प्रोलेप्स सर्वाइकल, गठिया, घुटने का दर्द,किडनी रोग (डायलिसिस से पहले)
लीवर सिरोसिस, हैपेटाइटिस B&C, Fatty Liver प्रोस्टेट रोग
असाध्य एवं लाइलाज रोगियों की चिकित्सा शुद्ध आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा की जाती है।
DR. VIJAY PRAKASH MISHRA M.D. (Ayurveda)
DR. ASHWINI MISHRA M.D. (Ayurveda) स्त्री एवं त्वचा रोग
Mob.: 9410897970
मिलने का समय : प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक (शुक्रवार अवकाश)
होटल राजश्री के सामने, गली नं0 2, डॉक्टर्स कालोनी
डी। डी 2 सिविल लाईन, रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर) उत्तराखंड

अग्निवीर योजना को समाप्त करे सरकार: मीना

रूदपुर(उद संवाददाता)। उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीना शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार अग्निवीर योजना को तत्काल समाप्त करें, और पुरानी भर्ती व्यवस्था को लागू करें स श्रीमती शर्मा ने कहा कि अग्निवीर योजना से युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है,चार साल अपनी सेवाएं देने के बाद ये युवा क्या करेंगे,इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना होगा,श्रीमती शर्मा ने इस योजना को बदलने के लिए सरकार से पुनर्विचार करने की अपील की,श्रीमती शर्मा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी, बाद में एनएस यूआई कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई के प्रदेश

महासचिव गोपाल भट्ट के नेतृत्व में प्रदर्शन भी किया, जहां कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की,और अग्निवीर योजना को तत्काल प्रभाव से रद्द कर पुरानी भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की मांग की स इस अवसर पर एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव गोपाल भट्ट, रुद्रपुर महानगर अध्यक्ष योगेश पांडे, रुद्रपुर एनएसयूआई के पूर्व महानगर अध्यक्ष चेतन भट्ट, सुमित, रविपाल राठौर, सचिन बिष्ट, सहित बड़ी संख्या में अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

यूसीसी बिल पारित होने पर किया मिष्ठान वितरित

खटीमा(उद संवाददाता)। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने पर जिला उधम सिंह नगर महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बिमला मुंडेला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौक पर मिष्ठान वितरण कर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान भाजपा महिला अध्यक्ष श्रीमती मुंडेला ने कहा कि यूसीसी बिल पास होने से उत्तराखंड राज्य ने नारी सुरक्षा और सशक्तिकरण का नया आयाम स्थापित किया है।यह कदम पुरुषो और महिला के बीच भेद खत्म करने में मील का पत्थर साबित होगा।उन्होंने यूसीसी लागू करने के लिए महिलाओं की तरफ से राज्य के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस बिल में भी नारी शक्ति का सम्मान बढा है। इस दौरान अनुपमा शर्मा जिला

उपाध्यक्ष, अंजू देवी जिला मंत्री, नगर मंडल अध्यक्ष जीवन धामी, वरूण अग्रवाल , दिनेश अग्रवाल, भवानी भंडारी,मीना बिष्ट मंडल उपाध्यक्ष, अनीता ज्याला मंडल अध्यक्ष,तारा बिष्ट मंडल अध्यक्ष, रेनू भंडारी पूर्व जिला महामंत्री, नीलू गुप्ता, मानवी तिवारी, मीना शर्मा,मंजू नेगी, श्वेता मिश्रा, जानकी गोस्वामी, आदि सभी कार्यकर्ता शामिल थे।

निशुल्क क्रिकेट ट्रेनिंग 14 फरवरी से

गदरपुर(उद संवाददाता)। क्षेत्र में संचालित मौर्य एकेडमी है जहां पर बच्चों को करियर से संबंधित विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जैसे कंप्यूटर का प्रशिक्षण,सरकारी नौकरियों की तैयारी के साथ-साथ खेल कूद के क्षेत्र में एथलीट्स एवं क्रिकेट का प्रशिक्षण दिया जाता है यहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर बहुत से छात्र छात्राएं अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। मौर्य एकेडमी के डायरेक्टर आनंद कुमार ने बताया कि बच्चों को खेल के क्षेत्र में जागरूकता के लिए एकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड अमरपुरी में निशुल्क ट्रेनिंग कैंप 14 से16 फरवरी 2024 तक कराया जा रहा है,जिसमें बीसीसीआई 'ए' लेवल के कोच द्वारा बच्चों को क्रिकेट के गुण सिखाए जाएंगे। यह क्रिकेट कैंप सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और शाम 3 बजे से 5 तक 14 फरवरी से 16 फरवरी 2024 तक चलाया जाएगा क्रिकेट सीखने के इच्छुक सभी स्टूडेंट 99047 32690 और 9968248724 नम्बर मौर्य एकेडमी गदरपुर से संपर्क कर सकते हैं ट्रेनिंग कैंप के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू है।

आंगनबाड़ी केंद्र में छापेमारी में अंडों पर लगी मिली फफूंद

जसपुर। तहसीलदार के औचक निरीक्षण में आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए फफूंद लगे अंडे पाए गए। इस दौरान खाद्य सामग्री एक्सपायरी हालत में देख तहसीलदार ने केंद्र सहायिका को फटकार लगाई। तहसील क्षेत्र के ग्राम मनोरथपुर प्रथम स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित रसोई घर का तहसीलदार शुभांगिनी सिंह ने औचक निरीक्षण किया। उन्हें रसोई घर में रखा अधिकतर सामान दाल, पोहा आदि एक्सपायरी मिला और अंडों पर फफूंद लगी थी। तहसीलदार ने बताया कि उक्त खराब सामान से तैयार भोजन से बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अनुपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रूकमन को बैठक में होना बताया गया है जिसकी जांच की जा रही है। बतायाकि निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है और केंद्र सहायिका लखवीर कौर व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रूकमन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाल विकास अधिकारी ग्रामीण जसपुर को निर्देश दिए गए हैं।

युवक ने फांसी लगाकर दी जान

हल्द्वानी(उद संवाददाता)। एक युवक ने फांसी के फंदे में झूलकर मौत को गले लगा लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव फंदे से उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार मूलरूप से केलाखेड़ा निवासी 28 वर्षीय मोहम्मद आरिफ पुत्र मोहम्मद रऊफ यहां बनभूलपुरा के इन्द्रानगर में किराए के मकान में रहता था और राजमिस्त्री का काम करता था। बताया जाता है कि वह बीती रात खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया। प्रातः वह काफी देर तक नहीं उठा तो साथी मजदूरों ने उसे जगाने का काम किया। लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस पर जब खिड़की से झांका गया तो अंदर का नजारा देखकर उनके पैरोंतले जमीन खिसक गई। कमरे में आरिफ का शव पंखे के कुंडे के सहारे फंदे पर लटका हुआ था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची बनभूलपुरा थाना पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है।

व्यापारी को साइकिल से टक्कर मारकर रूपये लूटने वाले दो बदमाश गिरफ्तार

पुलिस ने टक्कर मारकर रुपये पार करने वाला गिरोह बेहद शातिराना ढंग से कई क्षेत्रों में वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़

रुद्रपुर(उद संवाददाता)। एक महीने पहले मुख्य बाजार में व्यापारी को साइकिल से टक्कर मारकर 35,000 रुपये पार करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ कर मुखिया सहित दो आरोपियों को पकड़ा है। संचालक अपने दो बेटों और रिश्तेदार के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।बुधवार को पुलिस कार्यालय में एसपी क्राइम चंद्रशेखर आर घोड़के ने बताया कि 30 जनवरी की को दोपहर तीन बजे आवास विकास निवासी व्यापारी राजकुमार सब्जी मंडी से सब्जी लेकर लौट रहे थे। बाटा चौक के पास साइकिल सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। साइकिल चालक के सहयोगी ने उनकी जेब में रखे 35000 रुपये और दुकान के कुछ बिल निकाल लिए थे। व्यापारी की तहरीर पर केस दर्ज कर एसएचओ धीरेंद्र कुमार की अगुवाई में गठित टीम ने शहर

में करीब 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाली और वारदात में शामिल चार बदमाशों को चिह्नित कर लिया।मंगलवार रात टीम ने सूचना पर गांधी मैदान के पास अफजाल निवासी लाइन नंबर 13 आजादनगर थाना बनभूलपूरा नैनीताल और आकिल निवासी अगवानपुर ढापनगर थाना सिविल लाइन मुरादाबाद को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से लूटी गई रकम में से 15 हजार रुपये, एक आधार कार्ड और वारदात में प्रयुक्त साइकिल बरामद की गई। गिरफ्तार अफजाल के दो बेटे अमान और आफताब घटना में शामिल थे, उनकी तलाश की जा रही है। उन्होंने टीम को डेढ़ हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की। वहां पर एसपी सिटी मनोज कत्याल और सीओ सिटी निहारिका तोमर मौजूद रहीं। व्यापारी को साइकिल से टक्कर मारकर रुपये पार करने वाला गिरोह बेहद शातिराना ढंग से वारदात को अंजाम देते थे। वे पहले लोगों की रेकी कर उनकी जेब में रकम होने का अंदाजा लगाते थे और फिर साइकिल से टक्कर मारकर रकम पार कर देते थे। दिलचस्प बात है कि छिनैती में जेल जा चुके गिरोह के मुखिया ने बेटों को अच्छी तालीम देने के बजाय जरायम की दुनिया में न सिर्फ उतारा बल्कि अपराध में पार्टनर बना दिया। पुलिस के अनुसार मुख्य अभियुक्त अफजाल वर्ष 2021 में रुद्रपुर क्षेत्र से ही टप्पेबाजी घटना में जेल जा चुका है। जेल से छूटने के बाद उसने फिर से अपराध करना शुरू किया और इसमें खुद के दो बेटों अमान, आफताब व रिश्तेदार आकिल को शामिल कर दिया। चारों लोगों ने रुद्रपुर के साथ ही मुरादाबाद और हल्द्वानी में लोगों को निशाना बनाया। गिरोह पहले बैंक या दुकानों के बाहर खड़े होकर व्यक्ति को चिह्नित कर लेते हैं जिसके बाद मौका देखकर साइकिल से अमान पीड़ित को टक्कर मारता है। टक्कर लगने पर जैसे ही पीड़ित झुकता है तो अफजाल बेहद सफाई से जेब में रखी रकम पार कर लेता है। इस दौरान आफताब और आकिल पीड़ित का हमदर्द बनते हैं और साइकिल सवार को डांट फटकार कर लोगों का ध्यान बंटा देते हैं। इसके बाद चारों वहां से निकलकर रुपये आपस में बांट लेते थे। शक न हो, इसलिए वारदात के बाद चारों लोग अलग-अलग दिशाओं में चले जाते थे और पहले से तय जगह पर मिल जाते थे। एसपी क्राइम चंद्रशेखर ने बताया कि अभियुक्तों ने यूपी, हल्द्वानी और रुद्रपुर में अपराध करने की बात स्वीकारी है। गिरोह के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ये लोग बेहद शातिराना तरीके से अपराध को अंजाम देते आए हैं।

देवभूमि में ऐतिहासिक यूसीसी बिल पास

उत्तराखंड विधानसभा में विस अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने ध्वनिमत से पारित किया यूसीसी विधेयक: प्रदेश में समान नागरिक संहिता विधेयक के कानून बनने पर समाज में बाल विवाह बहु विवाह, तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियों और कुप्रथाओं पर रोक लगेगी

देहरादून(उद संवाददाता)। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक उत्तराखंड 2024 को विधानसभा में पारित होने पर समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सदन के सदस्यों का भी आभार व्यक्त है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यह उत्तराखण्ड के लिए ऐतिहासिक पल है जब देवभूमि के सदन से देश के पहले समान नागरिकता कानून को मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए इसे जल्द ही राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी 2022 को प्रदेश की जनता से समान नागरिक संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का वायदा किया था। आज वह वायदा पूर्ण हो गया है । मुख्यमंत्री ने कहा कि जो संकल्प हमारी सरकार ने लिया था वह आज सिद्धि तक पहुँच गया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की परिकल्पना ने इस समानता के कानून को लागू करने की प्रेरणा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून समानता और एकरूपता का कानून है। मुख्यमंत्री श्री धामी ने विधानसभा द्वारा राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मंजूरी प्रदान करने को भी राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान बताया है।

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक उत्तराखंड 2024 आज विधानसभा में पारित कर दिया गया। विधेयक पर दो दिनों तक लंबी चर्चा हुई। सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने विधेयक के प्रावधानों को लेकर अपने-अपने सुझाव दिए। उत्तराखंड विधानसभा आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित करने वाली पहली विधानसभा बन गई है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी को समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 विधानसभा में पेश किया था। सदन में विधेयक पर चर्चा के बाद सदन ने इसे पास कर दिया। अब अन्य सभी विधिक प्रक्रिया और औपचारिकताएं

पूरी करने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। इस विधेयक में सभी धर्म-समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक कानून का प्रावधान है। महिला-पुरुषों को समान अधिकारों की सिफारिश की गई है।अनुसूचित जनजातियों को इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री धामी ने जनता से किए गए वायदे के अनुसार पहली कैबिनेट बैठक में ही यूसीसी का ड्राॅफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई। समिति ने व्यापक जन संवाद और हर पहलू का गहन अध्ययन करने के बाद यूसीसी के ड्राॅफ्ट को अंतिम रूप दिया है। इसके लिए प्रदेश भर में 43 जनसंवाद कार्यक्रम और 72 बैठकों के साथ ही प्रवासी उत्तराखण्डियों से भी समिति ने संवाद किया। समान नागरिक संहिता विधेयक के कानून बनने पर समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियों और कुप्रथाओं पर रोक लगेगी, लेकिन किसी भी धर्म की संस्कृति, मान्यता और रीति-रिवाज इस कानून से प्रभावित नहीं होंगे। बाल और महिला अधिकारों की यह कानून सुरक्षा करेगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का विधेयक आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को विकसित, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महान यज्ञ में हमारे प्रदेश द्वारा अर्पित की गई एक आहुति मात्र है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। उनके नेतृत्व में यह देश तीन तलाक और धारा-370 जैसी ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के पथ पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी के इस विधेयक में समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।

अब बिल राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति की मुहर लगने बाद राज्य में लागू हो जाएगा कानून

विपक्ष की बिल को प्रवर समिति को भेजने की मांग खारिज

देहरादून(उद संवाददाता)। भारत में आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 विधानसभा में पास हो गया है। 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किये बिल पर दो दिन लंबी चर्चा, बहस और तर्कों के बाद बुधवार की शाम सदन में विधेयक ध्वनिमत से पास हुआ। विपक्ष ने चर्चा के दौरान बिल प्रवर समिति को भेजने की सिफारिश की थी। उसका यह प्रस्ताव भी ध्वनिमत से खारिज हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बिल से समाज का भेदभाव, कुरीतियां खत्म होंगी। कहा, इस कानून में संशोधन की भी गुंजाइश होगी। पास होने के बाद अब बिल राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, जहां से मुहर लगने के बाद यह कानून राज्य में लागू हो जाएगा। विधानसभा से यूसीसी बिल पास होने के बाद अब यह राजभवन को भेजा जाएगा। चूंकि यह संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल से राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा। इस पर राष्ट्रपति भवन को फैसला लेना है। वहां से मुहर लगने के बाद राज्य में कानून लागू हो जाएगा। सदन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में विपक्ष ने इस बिल को जल्दबाजी में उठाया गया कदम करार दिया था। विपक्ष में इसमें कई खामियां गिनाते हुए सदन में इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग की थी। हालांकि विपक्ष की ये मांग खारिज हो गई। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक विधानसभा में पारित कराकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने भाजपा शासित राज्यों के सामने लंबी लकीर खींच दी है। माना जा रहा है कि अब उत्तराखंड की इस लीक पर भाजपा शासित राज्यों के चलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड के बाद असम की भाजपा सरकार यूसीसी बिल विधानसभा में सबसे पहले पेश कर सकती है। राजस्थान सरकार भी यूसीसी लाने का एलान कर चुकी है। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का विधेयक लाने के बाद भाजपा के तरकश में एक और तीर आ गया है। अयोध्या में श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा और भव्य मंदिर निर्माण के मुद्दे के साथ भाजपा अब लोकसभा चुनाव में यूसीसी के मुद्दों को भुनाएगी।

पुष्पवर्षा और आतिशबाजी के साथ किया सीएम धामी का भव्य स्वागत

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा से समान नागरिक संहिता कानून पारित होने के पश्चात विधानसभा के गेट पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का पुष्पवर्षा के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने आतिशबाजी कर अपनी खुशियों का इजहार भी किया। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के उपरांत भाजपा प्रदेश कार्यालय, देहरादून में स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। इस अवसर पर सम्मानित पदाधिकारियों एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। अमृतकाल के महानायक और नए भारत के शिल्पकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सहृदय धन्यवाद, जिनके मार्गदर्शन में आज हम इस

ऐतिहासिक कार्य को पूर्ण कर पाए। राज्य की जनता इस विधेयक के पारित होने से बेहद प्रसन्न है, चुनाव पूर्व किए गए वादे को पूर्ण करने पर देवतुल्य जनता का भाजपा सरकार के प्रति विश्वास और अधिक बढ़ा है, समस्त प्रदेशवासियों का इस अभूतपूर्व समर्थन हेतु हार्दिक आभार ! उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है, जो हमारे लिए गौरवपूर्ण क्षण है। यह मात्र एक संयोग नहीं बल्कि एक सुनहरा अवसर है जब देवभूमि से निकली समानता और समरूपता की धारा सम्पूर्ण देश का पथ प्रदर्शित करेगी।

मंत्रियों और महिला विधायकों ने बताया बेटियों के लिए ऐतिहासिक कामयाबी

देहरादून(उद संवाददाता)। ऐतिहासिक यूसीसी बिल को सदन में पास कराने के लिए सदन में मौजूद प्रचंड बहुमत की सरकार की रणनीति के आगे विपक्ष के सवाल भी बौने साबित हो गये। यूसीसी कानून को लेकर बुधवार को भोजनावकाश के बाद सरकार ने इसकी पृष्ठभूमि बनाने की पुख्ता तैयारी कर रखी थी, जो बखूबी नजर आई। इसमें जहां यूसीसी को बाबा भीमराव आंबेडकर का सपना बताया गया तो वहीं सरकार ने मंत्रियों, महिला विधायकों और कांग्रेस छोड़कर भाजपा से विधायक बने सदस्यों से विपक्ष को खामोश रखने की कोशिश की। भोजनावकाश से पहले विपक्ष की बहस का नजारा खूब दिखा, लेकिन तीन बजे से छह बजे तक सदन में सत्ता पक्ष की रणनीति नजर आई। सरकार ने अपनी महिला विधायकों सरिता आर्य, शैलारानी रावत, रेनू बिष्ट को भी बिल के समर्थन में बोलने के लिए तैयार किया था। तीनों ने इस बिल को मातृशक्ति के लिए जरूरी करार देते हुए कानून की वकालत की। बताया किस तरह से यह बिल महिलाओं, बेटियों के लिए ऐतिहासिक कामयाबी बन सकता है। इसमें जहां यूसीसी को बाबा भीमराव आंबेडकर का सपना बताया गया तो वहीं सरकार ने मंत्रियों, महिला विधायकों और कांग्रेस छोड़कर भाजपा से विधायक बने सदस्यों से विपक्ष को खामोश रखने की कोशिश की। भोजनावकाश से पहले विपक्ष की बहस का नजारा खूब दिखा, लेकिन तीन बजे से छह बजे तक सदन में सत्ता पक्ष की रणनीति नजर आई। सबसे पहले भाजपा विधायक अरविंद पांडे ने बेटियों का अपमान करने वालों को यूसीसी कानून मिट्टी में मिला देगा से शुरुआत की। इसके बाद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कानून के ऐतिहासिक पहलुओं को सामने रखते हुए शायराना अंदाज कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, तब ये जमाना बदलेगा..से माहौल को आगे बढ़ाया।सदन में कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने यूसीसी बिल की खामियां गिनाते हुए संविधान के अधिकारों के अनुरूप संशोधन की मांग करते हुए प्रवर समिति को भेजने की मांग की। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने चर्चा के दौरान स्पष्ट किया कि उनके पास बहुमत है, फिर भी वह पूरी प्रक्रिया के तहत इस बिल को सदन तक लाए हैं। समय के हिसाब से इसमें संशोधन भी किए जाएंगे। इस दौरान विपक्ष ज्यादा विरोध की भूमिका में नजर नहीं आया। बिल पास होने से पूर्व कांग्रेस छोड़कर भाजपा के टिकट से विधायक उमेश शर्मा काऊ, किशोर उपाध्याय समेत कई नेताओं ने सदन में बिल की पैरवी की। सरकार ने अपनी महिला विधायकों सरिता आर्य, शैलारानी रावत, रेनू बिष्ट को भी बिल के समर्थन में बोलने के लिए तैयार किया था। तीनों ने इस बिल को मातृशक्ति के लिए जरूरी करार देते हुए कानून की वकालत की। बताया, किस तरह से यह बिल महिलाओं, बेटियों के लिए ऐतिहासिक कामयाबी बन सकता है। सत्ता पक्ष के विधायकों ने चर्चा के दौरान इस बिल को देश के पहले कानून मंत्री और संविधान का जनक कहे जाने वाले भारत रत्न बाबा भीमराव आंबेडकर का सपना बताया। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में समान नागरिक संहिता को बाबा आंबेडकर का सपना करार दिया। वहीं सरकार के इस दांव के सामने भी विपक्ष ज्यादा मीन-मेख निकालने की स्थिति में नजर नहीं आया। माहौल पूरा बनने के बाद सदन के नेता पुष्कर सिंह धामी ने करीब एक घंटे तक बिल के समर्थन में अपनी बात रखी। इसके बाद बिल ध्वनिमत से पास हो गया। विपक्ष का कोई विरोध इस दौरान सामने नहीं आया।

जय जवान कार्यक्रम में सुनी युंकाईयों के मन की बात

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। यूथ कांग्रेस द्वारा आयोजित जय जवान कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा के युवाओं के मन की बात को सुना गया। इस दौरान दर्जनों युवाओं ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए अग्निवीर योजना के नुकसान बताए। मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीतिक सलाहकार गुरदीप सप्पल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, कम्युनिकेशन वाररूम के हेड वैभव वालिया समेत तमाम नेताओं ने संबोधित किया।गुरदीप सप्पल ने कहा अग्नि वीर योजना से युवा आपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। युवाओं के मन की बात को सुनकर कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र तैयार करेगी।कांग्रेस प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही होनिश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

अध्यक्ष करन महारा ने कहा उत्तराखण्ड का युवा भारतीय सेना के माध्यम से देश की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाता था। लेकिन जिस तरीके से सरकार युवाओं सरकार की मंशा देश की सेना को कमजोर करने की है। पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने मोदी सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमित्तर भुल्लर ने कहा कि युवाओं के हक के लिये युवा काग्रेस आर पार की लड़ाई लड़ेगा। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव नईम प्रधान, रिशु मेहर, युवा काग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हेमन्त साहू, मीमांसा आर्या समेत अन्य वक्ताओ ने सम्बोधित किया। कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल, महानगर महानगर अध्यक्ष गोविंद बिष्ट, पूर्व राज्य मंत्री हरीश पनेरू, जया कर्नाटक, प्रीती आर्या, अल्का आर्या, रंजीत राणा, मधु सागुड़ी, सचिन राठौर, निशान्त शाही, आफताब आलम, मोहित चौहान,सुमिन्दर यादव,हिमान्शु कबड़वाल, संजय जोशी आदि मौजूदरहे।

यूसीसी से समाज में आएगी एकरूपता: भट्ट

रूद्रपुर (उद संवाददाता)।केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री व नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक

संहिता विधेयक चर्चा के बाद विधिवत पास होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व विधानसभा के सभी सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री श्री भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य हो गया है इससे सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक कानून का प्रावधान मिल गया है। केंद्रीय मंत्री श्री भट्ट ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह भारत विभिन्न ऐतिहासिक मसलों पर गलतियों को सुधारने का काम कर रहा है उसी क्रम में देश में तीन तलाक और धारा 370 जैसी गलतियों को ठीक किया गया इसी क्रम में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा यूसीसी के इस विधेयक से जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार के भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानून में एकरूपता लाने के प्रयास किया गया है इससे देश की अखंडता और एकता और मजबूत होगी।

भाजपा नेता के घर से अवैध हथियार बरामद

काशीपुर में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने अमित को किया पुलिस के हवाले

काशीपुर(उद संवाददाता)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत सरकार की टीम द्वारा काशीपुर में भाजपा नेता के आवास पर की गई कार्यवाही के दौरान अधिकारियों को 32 बोर के 7 जिंदा कारतूस तथा 32 बोर का एक खाली खोखा बरामद हुआ। इस बारे में कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर ईडी के अधिकारियों ने भाजपा नेता को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार भाजपा नेता के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया। ज्ञातव्य है कि गत दिवस प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने वन विभाग के एक उच्च अधिकारी समेत भारत सिंह रावत के चंडीगढ़ उत्तराखंड तथा दिल्ली के 16 ठिकानों पर छापामार कार्यवाही करते हुए यहां काशीपुर में भी आईटीआई थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 हेमपुर इस्माइल मैं भाजपा नेता अमित कुमार सिंह पुत्र सुरेंद्र कुमार

सिंह की आवास पर छापामार कार्यवाही की। ईडी की कार्यवाही में भाजपा नेता के घर से 32 बोर के साथ जिंदा कारतूस का 32 बोर का एक खाली खोखा बरामद हुआ। इस बारे में गहन पूछताछ के बाद भी जब भाजपा नेता संतोषजनक जवाब नहीं दे सका तो प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने गहन पूछताछ के बाद भाजपा नेता के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया।

यूसीसी विधेयक सदन में लाने पर मिष्ठान वितरित

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। बीजेपी सम्भाग कार्यालय में यूसीसी बिल को लेकर मिष्ठान वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ बिल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का यह ऐतिहासिक दिन है आज स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई है। उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा यूसीसी बिल को सदन में रखा। जिस पर चर्चा लगातार जारी है। जो विधानसभा से पास होकर कानून का रूप ले लेगा। ऐसे में यूसीसी बिल को लेकर भाजपा में खुशी की लहर है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने कहा कि इस बिल के कानून बनने से महिलाओं को समानता का अधिकार मिलेगा। उत्तराखंड ने पूरे देश को एक नई दिशा देने का काम किया है और यह बिल ऐतिहासिक बिल है। वही बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद अदा

करते हुए कहा कि देश को आजाद हुए 75 साल से अधिक समय हो गया है और ऐसे कानून की इस देश को बेहद जरूरत है, जिसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हुई है। यूसीसी बिल आने वाले समय में पूरे देश के अंदर मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।जनता पार्टी जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी,उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू, जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया, निर्वतमान मेयर जोगेंद्र रौतेला, पूर्व मंडी अध्यक्ष गजराज सिंह बिष्ट, जिला महामंत्री रंजन बर्गली, नवीन भट्ट प्रदेश सह मीडिया प्रभारी चंदन बिष्ट, भुवन भट्ट, प्रतिभा जोशी, नितिन राणा, प्रमोद बोरा, विष्णु सक्सेना, श्रुति जैन, प्रकाश हर्बोला, कार्तिक हर्बोला समेत बड़ी संख्या में पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

जियो हजारों साल

तृप्ति मुंजाल

को जन्म दिन पर मुंजाल परिवार एवं उत्तरांचल दर्पण परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं

देवभूमि में नये युग की शुरुआत: शिव अरोरा

रुद्रपुर(उद संवाददाता)। समान नागरिक संहिता विधानसभा में ध्वनि मत से पारित होने पर विधायक शिव अरोरा ने कहा कि मां गंगा व यमुना की उद्गम स्थली देवभूमि उत्तराखण्ड से निकली यूसीसी के रूप में समानता और समरूपता की यह अविरल धारा संपूर्ण देश का पथ प्रदर्शित करेगी। उन्होंने कहा यह विधेयक मातृ शक्ति के सम्मान एवं उनकी सुरक्षा के प्रति हमारी धामी सरकार की प्रतिबद्धता को भी परिलक्षित करता है, साथ ही महिला सशक्तिकरण व उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा ने महत्वपूर्ण साबित होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही बात चरितार्थ होती नजर आती है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड का दशक है उसकी दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार आगे

बढ़ गयी है, 'प्रधानमंत्री मोदी के विजन एक भारत-श्रेष्ठ भारत एवं प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं के अनुरूप धामी सरकार ने चुनाव से पूर्व देवतुल्य जनता से किए गए वादे के अनुसार उस पर खरी उतरती नजर आयी है। विधायक शिव अरोरा ने कहा समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद उत्तराखंड में ऐतिहासिक परिवर्तन नजर आएंगे जो देश के लिये एक मिसाल के रूप में स्थापित होगा, वही 24 साल के सशक्त, स्वाभिमानी एवं ऊर्जावान उत्तराखण्ड को देखकर हमारे राज्य आंदोलनकारियों का मस्तक गर्व से ऊँचा हो गया होगा। हमारे शहीदों के प्रति यह एक सच्ची श्रद्धांजलि है जब हमारा प्रदेश पुष्कर धामी के नेतृत्व में विश्व पटल पर एक नई पहचान बना रहा है। विधायक शिव अरोरा ने विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके मार्ग दर्शन में यह कार्य करने की उत्तराखंड सरकार को प्रेरणा मिली साथ ही उत्तराखंड के ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिनके दृढ़ संकल्प ओर इच्छाशक्ति अनुरूप यह नबब कानून विधानसभा में पारित हुआ जिसके लिये उनको बहुत बहुत बधाई है , आपके दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि उत्तरा खंड नये आयामों को स्थापित कर रहा है।

कार्यालय के बाहर से बाईक चोरी

रूद्रपुर। आवास विकास क्षेत्र में ऑफिस के बाहर खड़ी मोटर साईकिल अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। वाहन स्वामी ने एक व्यक्ति पर संदेह व्यक्त करते हुए मामले की रपट दर्ज करा दी है। दर्ज रपट में सौरभ शर्मा पुत्र श्यामचरन शर्मा निवासी प्रीतविहार कालोनी ने कहा है कि वह एमआईजी बीएचईएल कालोनी आवास विकास में कार्य करता हैँ। रोज की भांति 4 फरवरी को सुबह करीब 11बजे उसने अपनी मोटर साईकिल यूके 06 बीजी 3221 को कार्यालय के बाहर खडी कर लॉक लगा दिया। बाइक की चाबी अपने कार्यालय में टेबल पर रख दी। दोपहर उसने देखा उसकी मोटर साईकिल मौजूदा स्थान पर नहीं है जोकि अज्ञात द्वारा चोरी कर ली गयी। उसका कहना है कि एक व्यक्ति दोपहर बिना किसी कार्य के कार्यालय में आया था। उस पर बाईक चोरी का शक है। पुलिस ने घटना की रपट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कमरे से तीन मोबाईल चोरी किये

रूद्रपुर (उद संवाददाता)। आवास विकास क्षेत्र से अज्ञात व्यक्ति कमरे से तीन मोबाईल चोरी कर ले गया। मामले की रपट दर्ज करा दी गई है। दर्ज रपट में सारिका सिंह निवासी आवास विकास ने कहा है कि 6 फरवरी को सायं वह अपने घर के पीछे वाले कमरे में काम कर रही थी। तो सामने के दरवाजे से आकर किसी अनजान आदमी ने घर में घुसकर बैठक से तीन मोबाईल चोरी कर लिये। मोबाईल में उसका और उसके पति का पर्सनल डाटा जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट की फोटो है जिसका गलत उपयोग किया जा सकता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शिविर में वाहन चालकों का हुआ नेत्र परीक्षण

रूद्रपुर (उद संवाददाता)। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत यातायात कार्यालय में यातायात पुलिस की ओर से वाहन चालकों के लिए नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। जिसमें दर्जनों वाहन चालकों की आंखों की जांच की गयी। शिविर में अग्रसेन अस्पताल के नेत्र चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों ने चालकों की आंखों का परीक्षण किया। शिविर में 50 चालकों के आंखों की जांच की गयी और उन्हें जरूरी सलाह दी गयी। इस दौरान सीपीयू प्रभारी राकेश बिष्ट ने वाहन चालकों से समय समय पर आंखों एवं अपने स्वास्थ्य की जांच कराने का आहवान किया। साथ ही उन्होंने वाहन चालकों को यातयात नियमों का पालन करने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इस दौरन नेत्र चिकित्सक डॉ नूतन जैन, वीरपाल, सुमन,सीपीयू प्रभारी राकेश बिष्ट, यातायात निरीक्षक जितेन्द्र पाठक, यातायात निरीक्षक नरेंद्र कुमार, टीएसआई धनपाल तनवार,रवि, जितेन्द्र तिवारी,दीप भट्ट आदि समेत कई लोग मौजूद थे।

तहसीलदार ने किया आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण

एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री मिलने पर सहायिका को लगाई फटकार

जसपुर(उद संवाददाता)। तहसीलदार के औचक निरीक्षण में आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए फफूंद लगे अंडे पाए गए। इस दौरान खाद्य सामग्री एक्सपायरी हालत में देख तहसीलदार ने केंद्र सहायिका को फटकार लगाई।तहसील क्षेत्र के ग्राम मनोरथपुर प्रथम स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित रसोई घर का तहसीलदार शुभांगिनी सिंह ने औचक निरीक्षण किया। उन्हें रसोई घर में रखा अधिकतर सामान दाल, पोहा आदि एक्सपायरी मिला और अंडों पर खफफूंद लगी थी। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार ने बताया कि उक्त खराब सामान से तैयार भोजन से बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।अनुपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

रूकमन को बैठक में होना बताया गया है जिसकी जांच की जा रही है। बतायाकि निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है और केंद्र सहायिका लखवीर कौर व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रूकमन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाल विकास अधिकारी ग्रामीण जसपुर को निर्देश दिए गए हैं।

उत्तरांचल दर्पण सम्पादकीय

सत्यम् शिवम् सुन्दरम्

सहजीवन का पंजीकरण

सहजीवन यानी बिना विवाह के युवा जोड़ों के साथ अमर्यादित रूप से रहने पर लंबे समय से बहस होती रही है। समाज का एक बड़ा हिस्सा इसे अनुचित मानता है। मगर निजता के संवैधानिक अधिकारों के चलते इस पर कोई कानूनी अंकुश लगाना संभव नहीं है। अब उत्तराखंड सरकार ने सहजीवन को अवैध तो करार नहीं दिया है, पर मर्यादित करने का प्रयास जरूर किया है। समान नागरिक संहिता विधेयक में उसने एक प्रावधान सहजीवन को लेकर भी शामिल किया है। उसके तहत कोई भी युगल अगर सहजीवन में रहता या रहना चाहता है, तो उसे पहले क्षेत्रीय पंजीयक के पास पंजीकरण कराना भी अनिवार्य होगा। अगर उन दोनों में से किसी की उम्र इक्कीस वर्ष से कम है, तो पंजीयक उसके माता-पिता को भी इस संबंध में सूचना देगा। उनकी मंजूरी के बाद ही संबंधित जोड़े के सहजीवन में रहने का पंजीकरण हो सकता है। अगर कोई जोड़ा पंजीकरण नहीं कराता है, तो उसे तीन महीने की कैद या दस हजार रुपए जुर्माने का दंड या दोनों भोगना पड़ सकता है। इसे लेकर विपक्षी दल स्वाभाविक रूप से एतराज जता रहे हैं। वे इस प्रावधान पर कुछ ठहर कर विचार करने की मांग कर रहे हैं। सहजीवन को मर्यादित बनाने के पीछे सरकार की मंशा समझी जा सकती है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में बिना विवाह के साथ रह रहे दो जीवनसाथी युगल के बीच अनबन और विच्छेद की अनेक ऐसी अप्रिय घटनाएं हो चुकी हैं, जिनसे निपटना प्रशासन के लिए मुश्किल साबित हुआ। प्रेम प्रसंग और ब्लैकमेलिंग के नाम पर कई लड़कियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बहुत-सी लड़कियां सहजीवन में रहने के बाद ठगी महसूस करती हैं। ऐसे मामलों में घरेलू हिंसा, संपत्ति का अधिकार, भरण-पोषण के दावे आदि के कानूनी प्रावधान लागू नहीं होते। इसलिए ऐसे अनेक मामलों में अदालत में गुहार लगाने के बाद भी लड़कियों को न्याय नहीं मिल सका है। उत्तराखंड सरकार इन्हीं समस्याओं से पार पाने के इरादे से यह कानून लागू करना चाहती है। सहजीवन संबंधी प्रावधान में स्पष्ट उल्लेख है कि पंजीकरण के बाद साथ रहने वाले प्रेमी युगल के संबंधों को कानूनी रूप से वैध माना जाएगा और महिला को वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे, जो विवाह के बाद प्राप्त होते हैं। उनसे पैदा हुए बच्चे को उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त होगा। अगर लड़का किन्हीं स्थितियों में लड़की को छोड़ देता है, तो लड़की उससे भरण-पोषण पाने की हकदार होगी। एक तरह से यह कानून सहजीवन को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। कई बार कुछ जोड़े तय कर चुके होते हैं कि वे विवाह करेंगे, इसके लिए उनके परिवार वालों की भी मंजूरी होती है, मगर पढ़ाई-लिखाई, रोजगार आदि की विवशताओं के चलते वे विवाह को टाल देते हैं। विवाह से पहले साथ रहने लगते हैं। ऐसे युवा वर्ग के जोड़ों को पंजीकरण से शायद ही कोई दिक्कत हो। मगर जो युवा चोरी-छिपे, बस शारीरिक सुख के लिए साथ रहने लगते हैं, उनमें विवाद की गुंजाइश सदा बनी रहती है। ऐसे ही जोड़ों को मर्यादित करने के लिए ऐसे कानून की जरूरत महसूस की गई होगी। मगर निजता के समर्थक कुछ लोगों को यह कानून नैतिक निगरानी रखने का प्रयास लग सकता है। निजता के अधिकार की रक्षा अवश्य होनी चाहिए, मगर इस अधिकार की आड़ में या इसका बेजा फायदा उठाते हुए अगर कुछ लोग समाज और व्यवस्था के सामने मुश्किलें पैदा करते हों, तो उन्हें अनुशासित करने की जिम्मेदारी से भला कोई राज्य कैसे बच सकता है।

उत्तराखंड ने रचा इतिहास

उत्तराखंड राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक राज्य विधानसभा में पारित करके देश में समानता का कानून बनाने के संदर्भ में इतिहास रचने का काम किया है। ध्वनिमत से अस्तित्व में आए इस कानून के साथ स्वतंत्र भारत में उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन गया है, जिसने संविधान निर्माताओं द्वारा समान नागरिक संहिता के देखे गए स्वप्न को साकार करने का काम किया है। इस दिशा में गुजरात और असम में भी इसी प्रकार का कानून लाने की तैयारी हालांकि गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता पुर्तगाली शासन के समय से ही लागू है। विधेयक पर बहस के समय सत्ता पक्ष भाजपा ने प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पर खूब तल्ख कटाक्ष किए, लेकिन कांग्रेस पलटवार में आक्रामक होने की बजाय मौन साधे रही। अतएव लगता है कांग्रेस अब धर्मनिरपेक्षता के बहाने मुस्लिम परस्ती से छुटकारा पाने के रास्ते तलाश रही है। यह विधेयक राज्यपाल से अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही कानून का रूप ले लेगा। उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की समीति ने इस विध्णेयक का का प्रारूप आठ सौ पृष्ठों में तैयार किया है। चूंकि देसाई न्यायालयीन प्रक्रिया से लंबे समय तक प्रत्यक्ष अवगत रही हैं, इसलिए उन्हें ज्ञात रहा है कि कानून में असमानताओं के चलते लोगों को किस तरह से परेशान होना पड़ता है। अतएव अब उत्तराखंड में उन कानूनों को समाप्त कर दिया है, जो स्त्री-पुरुष में भेद के साथ संतान और संपत्ति में भी भेद के पर्याय रहे है। साफ है, व्यक्तिगत नागरिक अधिकार संबंधी मामलों से जुड़े ज्यादातर कानूनों में एकरूपता लाने का स्वागत योग्य प्रयास किए गए हैं। अब प्रत्येक धर्म के दंपत्ति को विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण नहीं होने पर सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। कोई भी पति, पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। सभी धर्मों में विवाह की न्यूनतम उम्र लड़को के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित है। वैवाहिक दंपत्ति में यदि कोई एक व्यक्ति बिना किसी दूसरे पक्ष की सहमति के मत परिवर्तन करता है तो दूसरे पक्ष को उससे तालाक लेने व गुजारा भत्ता लेने का पूरा अधिकार रहेगा। पति-पत्नी के संबंध विच्छेद या घरेलू झगड़े के समय पांच वर्ष तक का बच्चा माता के पास रहेगा। सभी धर्मों के पति और पत्नि को तालाक लेने का अब समान अधिकार प्राप्त हो गया है। तीन तलाक को केंद्र सरकार पहले ही समाप्त कर चुकी है। मुस्लिम समुदायों में प्रचलित हलाला और इद्दत पर रोक लगा दी गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के चलते ये कानून अस्तित्व में थे, जिन्हें अब खत्म तो कर ही दिया गया है, कानून का उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान किया गया है। सभी धर्म समुदायों में सभी वर्गों के लिए बेटे-बेटी को संपत्ति में समान अधिकार होगा। बावजूद इस अच्छे कानून में एक कानून आंखों में खटकने वाला है। इस विधेयक की धारा सात अध्याय दो और धारा-381 में सह-जीवन (लीव-इन) के रिश्तों में रहने वाले युगलों को पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में गैर-पंजीकृत युगलों पर सोशल पुलिसिंग का खतरा बढ़ सकता है ? वर्तमान समय आर्थिक युग का है। ऐसे में आजीविका के लिए युवक एवं युवतियों को अकेले रहना पड़ रहा है, जो जीवन में कठिनाई बढ़ाता है। नतीजतन संपर्क में आने के बाद कई जोड़े साथ रहने को मजबूर हो जाते हैं। यह एक व्यावहारिक मानसिकता है। हालांकि यह ठोस सच्चाई है कि लिन-इन रिश्तों के प्रचलन से महिलाओं पर अत्याचार और आक्रामण के मामले बढ़े हैं। साथ ही विवाह संस्था की सात जन्मों वाले गठबंधन और पवित्रता के मूल्य एक हद तक घटे भी है। ऐसे में पंजीकरण की बाध्यता करने से ऐसे युगल राहत में रहेंगे, जिन्हें परिजनों की साथ रहने की स्वीकृति नहीं मिलती है। लिहाजा पंजीकरण के चलते युगल को संतान होती है तो उसे लालन-पालन के साथ विरासत संबंधी कानूनी अधिकार भी मिल जाएंगे। अतएव अविवाहित मातृत्व से पैदा होने वाली संतान का भविष्य माता-पिता का नाम मिल जाने के कारण संरक्षित होगा। संविधान राज्य को स्वतंत्र रूप से समान नागरिक कानून बनाने का अधिकार देता है। अतएव संविधान में दर्ज नीति-निर्देशक सिद्धांत यही अपेक्षा रखता है कि समान नागरिकता समूचे देश में लागू हों। जिससे देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए एक ही तरह का कानून वजूद में आ जाए, जो सभी धर्मों, संप्रदायों और जातियों पर लागू हो। आदिवासी और घूमंतू जातियां भी इसके दायरे में आएंगी। केंद्र में सत्तारूढ़ राजग सरकार से यह उम्मीद ज्यादा इसलिए है, क्योंकि यह मुद्दा भाजपा के बुनियादी मुद्दों में शामिल है। इसमें सबसे बड़ी चुनौतियां बहुधर्मों के व्यक्तिगत कानून और वे जातीय मान्यताएं हैं,जो विवाह, परिवार, उत्तराधिकार और गोद जैसे अधिकारों को दीर्घकाल से चली आ रही क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को कानूनी स्वरूप देती हैं। इनमें सबसे ज्यादा भेद महिलाओं से बरता जाता है। एक तरह से ये लोक प्रचलित मान्यताएं महिला को समान हक देने से खिलवाड़ करती हैं। लैंगिक भेद भी इनमें स्पष्ट परिलक्षित हैं। मुस्लिमों के विवाह व तलाक कानून महिलाओं की अनदेखी करते हुए पूरी तरह पुरुषों के पक्ष में हैं। ऐसे में इन विरोधाभासी कानूनों के तहत न्यायपालिका को सबसे ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ता है। अदालत में जब पारिवारिक विवाद आते हैं तो अदालत को देखना पड़ता है कि पक्षकारों का धर्म कौनसा है ? और फिर उनके धार्मिक कानून के आधार पर विवाद का निराकरण करती है। इससे व्यक्ति का मानवीय पहलू तो प्रभावित होता ही है, अनुच्छेद 44 की भावना का भी अनादर होता है। दरअसल ब्रिटिशकालीन भारत-1772 में सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक और संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़े अलग-अलग कानून बने थे, जो आजादी के बाद भी अस्तित्व में बने हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा तीन तलाक के खात्मे के बाद अब उत्तराखंड राज्य सरकार ने समान नागरिक कानून बनाकर अन्य राज्यों को यह संदेश दे दिया है कि वे भी अपने राज्य में समान नागरिक कानून बनाकर समानता के भेद को खत्म कर सकते हैं ?

-प्रमोद भार्गव, लेखक/पत्रकार

लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए दिए निर्देश

देहरादून(उद संवाददाता) ।मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी पुरुषोत्तम ने बुधवार को सचिवालय में नोडल अधिकारियों के साथ निर्वाचन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए वोटर जागरूकता कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान जागरूकता के लिए स्वीप गतिविधियों के साथ ही प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का सहयोग लिया जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को वोटर जागरूकता कार्यक्रमों से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई समय-सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूरी की जाएं। सीईओ ने कहा कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्लान और आयोग के मानकों के अनुरूप स्टेट डिप्लॉयमेंट प्लान बना लिया जाए।मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ.पुरुषोत्तम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सी विजिल जैसी अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। लोगों तक इसकी जानकारी अधिकाधिक पहुंचाई जाए। वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए बूथ वार रणनीति बनाई जाए। बूथ स्तरीय जागरूकता समूहों को सक्रिय किया जाए। बैठक में संयुक्त निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल, प्रताप शाह, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी, सी.ए.पी.एफ. नीलेश आनंद भरणे, सुश्री पी. रेणुका देवी, उप निदेशक, सूचना श्री रवि बिजारनिया, डॉ. तन्जीम अली, उप सचिव, इरला चौक सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।

2015 बैच के निलंबित सभी दरोगा हुए बहाल

देहरादून। दरोगा भर्ती धांधली में निलंबित हुए 2015 बैच के 20 दरोगाओं को एक साल बाद मंगलवार शाम को पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिलों के कप्तानों ने बहाल कर दिया। पिछले साल जनवरी में सभी को निलंबित किया गया था। इनमें से पौड़ी में तैनात दरोगा पुष्पेंद्र की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है।यूकेएसएसएसी की परीक्षाओं में धांधली की जांच के वक्त 2015 में हुई सीधी दरोगा भर्ती में भी धांधली की बात सामने आई थी। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने इस मामले में विजिलेंस से जांच कराने की संस्तुति की। विजिलेंस ने प्राथमिक जांच के बाद आठ अक्तूबर 2022 को मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 20 दरोगाओं को निलंबित कर दिया गया।एक साल से ज्यादा लंबे समय चली जांच के बाद विजिलेंस ने पिछले दिनों शासन को रिपोर्ट भेज दी है। बताया जा रहा कि इनमें से कई दरोगा ऐसे हैं, जिनके खिलाफ धांधली के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हालांकि, अंतिम निर्णय इस पर शासन को ही लेना है। अब पुलिस मुख्यालय ने इन सभी दरोगाओं को बहाल करने के आदेश दिए हैं। एडीजी प्रशासन अमित सिन्हा ने बहाली निर्देश जारी होने की पुष्टि की है। बहाल होने वालों में देहरादून : ओमवीर सिंह, प्रवेश रावत, राज नारायण व्यास, जैनेंद्र राणा व निखिलेश बिष्ट। ऊधमसिंहनगर : दीपक कौशिक, अर्जुन सिंह, बीना पपोला, जगत सिंह शाही, हरीश महर, लोकेश व संतोषी। नैनीताल : नीरज चौहान, आरती पोखरियाल नैनीताल (अभिसूचना), प्रेमा कोरमा व भावना बिष्ट। पौड़ी : पुष्पेंद्र (पिछले साल सड़क हादसे में मृत्यु हो चुकी)।चमोली : गगन मैठाणी।चंपावत : तेज कुमार। एसडीआरएफ : मोहित सिंह रौथाण शामिल है।

प्रसव के बाद एसटीएच रेफर महिला की मौत

हल्द्वानी। पहाड़ के सरकारी अस्पताल रेफर सेंटर ही बनकर रह गए हैं। वहां न पर्याप्त डॉक्टर हैं न मशीनें। पौड़ी के सरकारी अस्पताल में प्रसव के बाद जब महिला की हालत बिगड़ी तो उसे रामनगर सीएचसी रेफर किया गया। यहां से डॉक्टरों ने उसे सुशीला तिवारी अस्पताल भेज दिया। प्रसूता छह घंटे एंबुलेंस में तड़पती रही। सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुधवार को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में प्रसूता का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया था। मैठाड़ा ग्वीन मल्ला पौड़ी निवासी अमित गौनियाल यहां अपनी 24 वर्षीय पत्नी रेनू के साथ रहते थे। रेनू गर्भवती थी और मंगलवार को प्रसव पीड़ा होने पर अमित उसे लेकर गांव के पास स्थित बीरोखाल के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचा। यहां रेनू ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी हालत बिगड़ गई। उसे अधिक रक्त स्राव होने लगा। डॉक्टरों ने रामनगर सीएचसी के लिए रेफर कर दिया। परिजन एंबुलेंस से रेनू को सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने उसकी हालत अधिक खराब होने पर सुशीला तिवारी के अस्पताल भेज दिया। रेनू के पति अमित ने बताया कि रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर बुधवार सुबह मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डॉक्टरों ने रेनू के शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मौत की वजह अत्यधिक रक्तस्राव को माना जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि असल कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। इधर, रेनू के पति अमित ने बताया कि वह छह घंटे एंबुलेंस में पत्नी के साथ बैठे रहे और वह दर्द से कराहती रही। पहाड़ में अच्छा अस्पताल और डॉक्टर होते तो उनकी पत्नी असमय न मरती।

महिला पर गुलदार ने किया हमला

खटीमा। उत्तराखंड में बाघ और तेंदुआ का आतंक जारी है। यहां गुलदार लगातार इंसानों का अपना शिकार बना रहे है। ताजा मामला खटीमा से सामने आया है। खटीमा में जंगल में लकड़ी लेने गई एक महिला पर तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया। साथ की महिलाओं के शोर मचाकर तेंदुए को भगाया। गंभीर रूप से घायल महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अमाऊं निवासी लीलावती पत्नी हरीश चौहान बृहस्पतिवार सुबह जंगल में महिलाओं के साथ लकड़ियां लेने गई थी। तभी अचानक तेंदुए ने महिला पर हमला बोल दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। साथ की अन्य महिलाओं के शोर मचाने पर तेंदुआ मौके से भाग गया। महिला को घायल अवस्था में खटीमा उप जिला अस्पताल लाया गया। महिला की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया।

श्रीमद् भागवत कथा से पूर्व निकाली कलश यात्रा

गदरपुर(उद संवाददाता)। वार्ड नंबर 10 स्थित श्री पुरातन सनातन धर्म मंदिर के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष में आयोजित की जाने वाली श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ से पूर्व सुहागिन महिलाओं द्वारा नगर में भजन कीर्तन करते हुए भव्य कलश यात्रा निकाली गई। मध्य प्रदेश के पन्ना शहर से आए कथावाचक पंडित शिव प्रसाद अग्निहोत्री द्वारा कलश यात्रा की अगुवाई तथा विधि विधान से मंत्रोच्चारण करके कलश स्थापित करवाए गए। इस मौके पर पंडित विजय शास्त्री,मनोज कश्यप, गुलशन मुरादिया,संजीव अरोड़ा, मनोज गुंबर,संजीवझाम,सिद्धार्थ अरोरा सहित तमाम श्रद्धालु शामिल रहे।

हरक सिंह के घरों में ईडी ने की छापेमारी अलमारी की चाभी बनाकर लॉक खोला

देहरादून। उत्तराखंड में ईडी ने कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के घर पर छापा मारा है। उनके घरवालों से पूछताछ की जा रही है। हरक सिंह के बाद ईडी ने पूर्व आईएफएस अधिकारी किशनचंद के आवास पर छापा मारा।पाखरो रेंज घोटाले से संबंधित जांच मामले में ईडी कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के डिफेंस कॉलोनी स्थित घर पहुंची। उनके घर पर आलमारी का तला खोलने को चाभी बनाने वाला बुलाया गया। अलमारी की चाभी बनाकर लॉक खोला गया। अंदर से कई दस्तावेज निकाले गए। पूरी अलमारी दस्तावेज से भरी हुई थी। घर के अंदर मौजूद लोगों ने बताया था कि अलमारी की असली चाभी खो चुकी है। जिसके बाद ईडी ने चाबी बनाने वाले को बुलाया। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के श्रीनगर स्थित आवासीय भवन पर भी ईडी ने छापा मारा। ईडी की टीम घर में मौजूद हरक सिंह रावत की मां व अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही घर में रखे गए दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही है। हरक सिंह रावत के बिध

ौली स्थित हॉस्टल, श्रीनगर में होटल, गुहाड़ गांव स्थित पैतृक घर, सहसपुर में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में भी ईडी की टीम गई है। हरक सिंह के बाद ईडी ने पूर्व आईएफएस अधिकारी किशनचंद के आवास पर छापा मारा। तत्कालीन कुछ फॉरेस्ट अधिकारियों के यहां भी ईडी की टीम पहुंची। दूसरी तरफ देहरादून कैनाल रोड पर आईएफएस सुशांत पटनायक के घर पर कैश गिनने के लिए दो कार्डेटिंग मशीन अंदर ले जाई गई। मामले में पूर्व डीएफओ किशनचंद की संपत्ति को भी पहले अटैच किया जा चुका है। हरक सिंह रावत के वन मंत्री रहते निर्माण घोटाला हुआ था। पहले विजिलेंस ने मामले की जांच की थी। हरक सिंह के परिवार के सदस्य के पेट्रोल पंप पर जेनरेटर मिला था। इसके बाद सीबीआई को जांच सौंपी गई थी। वहीं कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या हरक सिंह रावत के घर के बाहर पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास धुलाई मशीन है। जो भाजपा में रहता है उसके सात खून माफ हैं। और दूसरी पार्टी में आते ही सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग शुरू कर देती हैं।

पुलिस और कोर्ट को गुमराह करके फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार

रूद्रपुर(उद संवाददाता)। पुलिस को गुमराह करने और कई वर्षो से फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसे जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। खुलासा करते हुए एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि वर्ष 1999 में एक मामले के अभियुक्त फूलचन्द उर्फ कल्लू पुत्र पाती राम निवासी ऊँचागाँव, थाना- शीशगढ़, जिला- बरेली जो वर्ष 1998 में थाना बहेड़ी जिला बरेली उ0प्र0 में रुद्रपुर से चोरी गयी लाईसेंसी बन्दूक में गिरफ्तार हुआ था। उसको तत्कालीन विवेचक रामलखन यादव ने धारा 460 भादवि में जिला बरेली जेल से वारण्ट बी में तलब कर जेल भेजा था। आरोपी ने अपने साथियों के साथ लाईसेंस बन्दूक चोरी करते समय सरदार इंदर सिंह की हत्या कर दी थी जिसमे अभियुक्त दवारा अपना नाम पता फूलचन्द उर्फ कल्लू पुत्र पाती राम निवासी ऊँचागाँव, थाना- शीशगढ़, जिला- बरेली बताया था। उसने पुलिस

व न्यायालय से बचने के लिये झूठा नाम पता बताया था। उसका वास्तविक नाम कल्लू उर्फ कल्याण राम उर्फ फूल चन्द्र पुत्र नन्द राम निवासी उच्चा गाँव रुस्तमनगर थाना शीशगढ़ जिला बरेली था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कोतवाली रुद्रपुर में उसके खिलाफ जुबानी मुकदमा धारा 176/177/196/417/419 के तहत पंजीकृत कराया था। जिसकी विवेचना एसएसआई कमाल हसन के सुपुर्द की गयी। मामले में गठित की गयी टीम ने आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 467/468 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी। गिरफ्तार करने वाली टीम में कोतवाल धीरेन्द्र कुमार,एसएसआई कमाल हसन, एसएसआई के0सी0 आर्या , उपनिरीक्षक मोहन चन्द्र जोशी, कांस्टेबल ललित मोहन, महिला कांस्टेबल ममता आर्या आदि शामिल रहे।

ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर रूकवाया निर्माण कार्य

गदरपुर(उद संवाददाता)। ग्राम पंचायत झगड़पुरी के गांव मजरा हसन में जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों में लापरवाही को लेकर ग्रामीणों ने बृहस्पतिवार को ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शराफत अली मंसूरी के नेतृत्व में मजरा हसन में बन रही टंकी के निर्माण कार्य को रुकवा दिया। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि टंकी में इस्तेमाल किए हुए मेटेरियल की गुणवत्ता ठीक नहीं है और लगभग आठ माह से मजरा हसन को आने वाली लगभग डेढ़ किलोमीटर रोड को खोद रखा है जो बरसात के कारण कई जगह से बैठ गई है उसकी मरम्मत का कार्य नहीं किया गया है जिसमें काफी गहरे गहरे खड्डे बन गए हैं। गांव से शहर जाने वाले लोग गड्ढे में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। कई बार ठेकेदार से मौखिक शिकायत करने के बाद भी उस जगह को समतल नहीं कराया जा रहा है । शराफत अली मंसूरी ने बताया कि लाखों रुपए की लागत से बनाई गई सड़क का जल जीवन मिशन के तहत काम करने वाले ठेकेदार ने बुरा हाल कर दिया है लगभग आठ माह पहले पाइप डाल दिए थे और उसके बाद से उसको समतल नहीं किया गया है ना हीं कनेक्शन किया जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों से टेलीफोन पर वार्ता की थी और मौका मुआयना करने की मांग की थी लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच पाया। विरोध करने वालों में राम अवतार, शिव सिंह, मनीष सिंह, शेर सिंह, आनंद सिंह, प्रेम सिंह, अजय पाल, लक्ष्मण सिंह,

मानसिंह, सोमल सिंह, राजेंद्र सिंह, सूरज सिंह, धर्म सिंह, लाखन सिंह, हिकमत अली, महिलाओं में जमुना देवी, तुलया देवी, किशोरी देवी, जानकी देवी, धनो देवी सहित दर्जनों पुरुष महिलाएं मौजूद रही

करिजमेटिव स्कूल में सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण शुरू

सितारगंज(उद संवाददाता)। बच्चों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए करिजमेटिव स्कूल में सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। बच्चों ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग में विशेष रुचि दिखाई। विधार्थियो ने आत्म रक्षा के गुर सीखे।गुरुवार को सुप्रिया कॉलोनी स्थित करिजमेटिव स्कूल में आत्मरक्षा प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। जिसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक दक्षता पर काम करने का विशेष ध्यान दिया गया। टीम केएसबीटी सिस्टम के ट्रेनर कौशिक कुमार ने बच्चों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी। कौशिक कुमार

स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर दक्षता के साथ-साथ सर्वांगीण विकास के लिए पिछले कई वर्षों से कार्यरत है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में कक्षा नर्सरी से 8जी कक्षा के लिए प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। इस अवसर पर संस्थान के आशीष पांडेय, ललित रस्तोगी, निशू तिवारी, किरन राना, हिना बोरा, किरन तिवारी, रंजना, रविंद्र कौर, निकिता, रिद्धि तिवारी, दीपा विस्वास, चंपा, रजनीश तिवारी अप्रेंटिस ट्रेनर प्रदीप बढ़ई, नीतीश प्रकाश आदि उपस्थित रहे।

पेज एक का शेष...

साथियों ने की थी...का कार्य करने वाले उसके भाई जसपाल उर्फ विशाल को उसके साथ कार्य करने वाले रोहित, मोहित द्वारा हत्या कर दी गयी है। जिसके आधार पर थाना में मामले को दर्ज करते हुये आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। एसएसपी के निर्देश पर थाना गदरपुर पुलिस तथा एस. ओ. जी. को मिलाकर 04 अलग अलग टीमें गठित की गयी। एसपी काशीपुर अभय प्रताप सिंह और सीओ बाजपुर अनुषा बडोला के नेतृत्व में पुलिस टीम अभियुक्तों की तलाश में जुट गई। पुलिस टीम ने गत दिवस मुखबिर की सूचना पर एनडीआरएफ कैम्प के पास 02 संदिग्ध व्यक्तियो को पकड़ लिया। जिन्होने अपना नाम पता रोहित पुत्र धरम सिंह निवासी लगडाभोज, थाना-गदरपुर व दूसरे ने मोहित पुत्र रामपाल सिंह निवासी लगडाभोज, थाना-गदरपुर बताया। तलाशी लेने पर उनके पास से दो मोबाईल व 250 रूपये बरामद हुये। सख्ती से पूछताछ करने पर बताया कि उन्होंने ने ही विशाल की हत्या की। उन्होंने बताया कि मृतक विशाल उसकी साली पर गलत नियत रखता था तथा लम्बे समय से डीजे में हिस्सेदारी के पैसे की मांग कर रहा था जिस कारण हमारी आपस में मनमुटाव चल रहा था। बेरिया दौलत में एक पार्टी में डीजे का काम पूरा कर हम पर वापस आये तो विशाल ने हिस्सेदारी के पैसे मांगने शुरू कर दिये जिस पर उससे तीखी बहस व हाथापाई हो गयी। पूछताछ में रोहित ने बताया कि उसने मृतक विशाल के पैर तथा सिर में डण्डे से कई वार किये जिसमे मोहित ने भी उसका सहयोग किया। घटना को सड़क दुर्घटना दिखाये जाने के लिये मोटर साईकिल में ले जाकर दिनेशपुर अण्डर पास की सर्विस रोड पर उतारकर हाईव से नीचे लुड़का कर हम दोनों घर आ गये। पुलिस ने अभियुक्तो की निशादेही पर मृतक विशाल के जूते तथा घटना में प्रयुक्त आलानकब,एक डण्डा तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकल को बरामद किया है। हत्याकाण्ड का खुलासा करने वाली टीम में गदरपुर थाने और एसओजी टीम शामिल थे जिसमें थानाध्यक्ष भुवन चन्द्र जोशी,एसआई पूरन सिंह तोमर, पवन जोशी,भूपेन्द्र सिह,गणेश दत्त भट्ट,बसन्त प्रसाद,मुकेश मिश्रा,मनोज धौनी,कुसुम रावत, कां.इरशाद उल्ला, बलवन्त सिह, दर्शन सिह,कैलाश मनराल, गोरखनाथ, विमल टम्टा,दीपक जोशी,दीपक कठैत भुपेन्द्र, नीरज भोज,श्रीमती शोभा मनवाल,श्रीमती कृष्णा, श्रीमती पार्वती गोस्वामी, श्रीमती ज्योति कपकोटी ,शिवराज सिह मेहरा आदि शामिल थे।

अंतराज्यीय चोर गिरोह. .लगाए चोरों ने मौके से ट्रैक्टर ट्राली उड़ा दी। तमाम पता करने के बाद भी जब ट्रैक्टर ट्राली का पता नहीं चला तो हरपाल ने मामले की तहरीर पुलिस को दी। पुलिस ने सनसनीखे चोरी के इस मामले में दर्जनों सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालते हुए सर्दी थानों में भी जांच पड़ताल कर मुखबिर मामूर किये। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी थी कि इसी बीच मुखबिर की सटीक सूचना पर ऑक्सीजन प्लान्ट वाली रोड सूर्या के पास देशी शराब के ठेके के सामने बंजर प्लाट पर दबिश देकर बंजर प्लाट में टैक्ट्रर को ट्राली से जोड़ रहे व्यक्ति को घेराबंदी कर शक के आधार पर दबोच लिया। पुलिस की कड़ी पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम मासूमपुर थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश निवासी इदरीश पुत्र अली मोहम्मद बताया। उसने गुनाह कबूल करते हुए थाना रहे जनपद बिजनौर से चुराई गई एक और ट्रैक्टर ट्राली बरामद कराई। जिसे मुरादाबाद से चुराया गया था। पुलिस की कड़ी पूछताछ में पकड़े गए इदरीश नमक शातिर चोर ने यह भी बताया कि एक संगीत मामले में बीते 23 जनवरी को वह जेल से जमानत पर छूट कर आया है। उसके खिलाफ थाना डिलारी तथा काशीपुर में आधा दर्जन और भी संगीत मामले दर्ज हैं।

मुरादाबाद अमराहा...व अमरोहा मेरठ जाकर बेच देता था। इसके चोरी के अलावा अभियुक्त द्वारा एक ट्राली पैगा थाना-आई0टी0आई0 क्षेत्र से भी की गयी थी,पकडे जाने के डर से उसने उस ट्राली को उसी स्थान पर छोड दिया । इसके अतिरिक्त भी उसके द्वारा मुरादाबाद क्षेत्र से दो अन्य ट्राली भी चोरी करने की बात बतायी गयी है तथा यह भी बताया गया है कि चोरी मे प्रयुक्त ट्रेक्टर को वह चोरी करने के बाद पुन: दीवान सुगर मिल मे ही छुपा देता था । उक्त माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे गिरफ्तार शुदा अभियुक्त इदरीस उम्र-39 वर्ष पुत्र अली मोहम्मद निवासी- ग्राम मासूमपुर थाना डिलारी जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के विरूद्ध धारा 379/ 411 भादवि 41/102 सीआरपीसी की बढोत्तरी की गयी है। अभियुक्त थाना डिलारी का हिस्ट्रीशीटर है । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस टीम को 2500 नकद ईनाम देने की घोषणा की है।

भ्रष्ट अधिकारियों व माफियाओं को ...रहा है। यह किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने पुलिस कप्तान पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में पूर्व विधायक के साथ मिलकर पुलिस कप्तान अवैध वसूली करा रहे है। खनन माफियाओं के आगे जो पायलट वाहन जाता है वह किसका होता है? श्री बेहड़ ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हुई हार को पूर्व विधायक अभी तक पचा नही पा रहे है और आज भी वह अपनी हार से तड़प रहे है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक में सब्र करना भी बहुत जरूरी होता है। श्री बेहड़ ने कहा कि विभिन्न नियमों के अर्न्तगत विधानसभा में प्रत्येक विधायक को बोलने का अधिकारी है जिसमें वह क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के साथ ही अपने विशेषाधिकार हनन का मामला भी उठा जाता है। श्री बेहड़ ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में एसडीएम और सीओ से फोन पर बहुत कम बात की है जिसका ब्यौरा निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज सम्पूर्ण राज्य में किच्छा विधानसभा ऐसा क्षेत्र है जहां राजनीतिक हस्तक्षेप काफी बढ़ गया है। वह सारे मामले आगामी विधानसभा सत्र में उठायेंगे।

हल्द्वानी नगर निगम का ...की जा रही है। बताते चलें भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार जारी विजिलेंस की कार्रवाई एक कदम और आगे बढ़ गई है। करीब सात माह पहले विजिलेंस को शिकायत मिली थी कि नैनीताल और ऊधमसिंहनगर में ऐसे कई अधिकारी हैं, जिन्होंने रिश्वत की रकम से अकूत संपत्ति जुटा ली है। गोपनीय जांच में इसके सुबूत मिलने के बाद अब विजिलेंस ने करीब दर्जनभर अधिकारियों के खिलाफ खुली जांच शुरू कर दी है।

उत्पीड़न के खिलाफ...जिससे व्यापारियों में विभाग के प्रति भारी रोष है। व्यापारियों ने कहा कि विभाग द्वारा मार्च में क्लोजिंग की जाती है जिस पर विभाग द्वारा व्यापारियों को बिना वजह परेशान करके आर्थिक दंड लगाकर अवैध वसूली कर रहा है जिसे किसी भी दशा मे बर्दाश्त नही किया जायेगा। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने आरटीओ निखिल शर्मा को चेतावनी देते हुए कहा कि विभाग द्वारा सुधार नही किया गया तो व्यापार मंडल अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन व आंदोलन करेगा। इस मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा महामंत्री मनोज छाबड़ा कोषाध्यक्ष संदीप राव, बलराम अग्रवाल,सी पी शर्मा, सरजू सिंह ,मनीष गोस्वामी,शिवम सेठी ,अपार सिंह बेदी,राजेश शर्मा आदि सहित अनेकों व्यापारी थे।

अंधाधुध फायरिंग कर...के फल स्वरुप ग्राम अजीतपुर निवासी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी पुत्र दिलबाग सिंह तथा उसके 15 16 अज्ञात साथियों ने कारों और मोटरसाइकिलों से धरना स्थल पर धावा बोल दिया और गाली गलौज करते हुए मारपीट पर आमादा हो गए। इस दौरान गुरप्रीत ने कहा कि सालों को गोलियों से भून डालो। इतना कहते ही आरोपियों ने ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 147 148 149 325 323 506 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किया लेकिन फरार अभियुक्त लगातार कानून को गच्चा देते रहे। इसी क्रम में उच्चाधिकारियों के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने घेराबंदी कर फायरिंग बलवा व मारपीट के मुख्य आरोपी गुरप्रीत सिंह गोपी पुत्र दिलबाग सिंह को क्षेत्र से दबोच कर तलाशी में उसके कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया। कोतवाली लाकर जरूरी पूछताछ के बाद गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय में पेश कर दिया गया। प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि फरार अभियुक्तों को भी जल्द ही सलाखों के पीछे किया जाएगा।

पारिवारिक कलह..आनन फानन में परिजन उसे तत्काल उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले गये। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने चिकित्सालय पहुंचकर परिजनों से आवश्यक जानकारी ली और शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक चार भाईयों में सबसे छोटा था।

ट्रक की टक्कर...हरीश सेमवाल मौके पर पहुंचे उन्होंने चालक को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में लिया। शव का पंचनामा भरने के बाद पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की सूचना मृतका के परिजनों को भी दी गयी जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया।

संदिग्ध हालातों.. गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। साथ ही परिजनों को सूचना दी। परिजनों के पहुंचने के बाद पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी।

NOTICE

I, Devkee Devi (DOB:- 15 May 1972)Is legally of Mother No.13782849L Rank RFN Name Deepak Chand is presently residing at Vill. Kharkubhalya, Po. Pithoragarh (Sadar) Tehsil & Dis. Pithoragarh have Changed My Name Form Devkee Devi (DOB: 15 May 1972) to Devki Devi (DOB: 15 May 1977) vide Affidavit No. "IN-UK99880815254955W,"IN-UK99881389799410W "Date- 20 JANUARY 2024

संस्थापक-स्व० हरनामदास सुखीजा एवं स्व०तिलकराज सुखीजा

स्वामित्वाधिकारी,प्रकाशक एवं मुद्रक परमपाल सुखीजा द्वारा उत्तरांचल दर्पण पब्लिकेशन्स, श्याम टाकीज रोड,रुद्रपुर,ऊधमसिंहनगर(उत्तराखण्ड)से मुद्रित एवं प्रकाशित

सम्पादक-परमपाल सुखीजा समाचार सम्पादक-जगदीश चन्द्र

आरएनआई नं.: UTTHIN/2002/8732 समस्त विवाद रूद्रपुर न्यायालय के अधीन होंगे।

E-mail-darpan.rdr@gmail.com,www.uttaranchaldarpan.in

फोन-245886(O)245701(Fax),9897427585,9897427586(Mob.)

ट्रक और बाइक की भिड़ंत में व्यापारी की मौत

गंभीर घायल अवस्था में दूसरे बाइक सवार को किया गया हायर सेंटर रेफर,व्यापारी के निधन से इसलामनगर मे शोक

सितारगंज(उद संवाददाता)। पीलीभीत रोड में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में पशु व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरे सवार को गंभीर अवस्था में हायर सेंटर रेफर किया है। व्यापारी की मौत के बाद सरकारी अस्पताल में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। शहर के वार्ड नंबर चार निवासी 35 वर्षीय आरिफ कुरैशी पुत्र मोहम्मद अहमद एवं वार्ड 3 निवासी 60 वर्षीय लाला पुत्र अब्दुल हमीद के साथ बुधवार की सुबह उत्तर प्रदेश के अमरिया बाजार में खरीदारी के लिए गए थे। बाजार से लौटते समय पीलीभीत रोड के ग्राम मलपुरी के पास जैसे ही उनकी बाइक जैसे ही उनकी पहुंची पीछे से आ रहे ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद आरिफ कुरैशी की बाइक अनियंत्रित होकर सड़क में गिर गई। जिससे छटक कर आरिफ ट्रक के नीचे आ गए जबकि उनके साथ बाइक में बैठे लाला दूसरे किनारे पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन को लेकर फरार हो गया। हादसे की सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। जिस पर पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों डॉक्टरों ने ने आरिफ उ कुरैशी को म मृत घोषित कर दिया। जबकि गंभीर रूप से घायल लाला को हायर सेंटर रैफर कर दिया। हादसे में पशु व्यापारी की मौत की सूचना मिलते ही सरकारी अस्पताल में लोगों का जमावड़ा लग गया। वरिष्ठ उप निरीक्षक हरविंदर कुमार ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। आरिफ कुरैशी की 2 वर्ष पूर्व ही शादी हुई थी। वह अपने पीछे एक भाई नवाब कुरैशी तीन बहनों और पत्नी को रोता बिलखता छोड़ गए हैं। पशु व्यापारी आरिफ कुरैशी ने बाइक चलाते समय हेलमेट लगाया था। ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी। इसके बाद वह चटक कर ट्रक के चक्कों के नीचे आ गए। इस दौरान उनका हेलमेट भी चकनाचूर हो गया। हादसे के बाद पुलिस टक्कर मारने वाले वाहन की शिनाख्त में जुट गई है। सड़क हादसे का शिकार हुए आरिफ कुरैशी व्यावहारिक रूप से समाज में मिलनसार प्रवृत्ति के थे। लोग उनके सरल व्यवहार के कायल भी रहे हैं। उनके साथ हुए हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों का हुजूम अस्पताल में उमड़ पड़ा। उनके निधन से इस्लामनगर में शोक की लहर दौड़ गई है।

जेष्ठा प्रबंधन ने आरोपों को बताया निराधार

कहा: निजी स्वार्थों के चलते हो रही कालोनी को बदनाम करने की साजिश

रूद्रपुर (उद संवाददाता)।जेष्ठा प्लेटिनम टॉवर कालोनी में अव्यवस्थाओं और बिल्डर की मनमानी के आरोपों को कंपनी प्रबंधन ने निराधार बताते हुए सफाई दी है। प्रबंधन का कहना है कि कुछ लोग जेष्ठा कालोनी में प्रापर्टी के दाम गिराने के लिए साजिशन भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। जेष्ठा डेपलपर्स लिमिटेड की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि फुलसुंगा में जेष्ठा प्लेटिनम टॉवर कालोनी के निर्माण के समय ही कंपनी ने वहां कालोनिवासियों को सभी बुनियादी सुविधाएँ बिजली, पानी, सड़क, नाली, सीवर लाइन आदि नियमानुसार 12 साल पहले दे दी थी। कालोनिवासियों ने पजेसन ले कर आरडब्लूए रजिस्टर्ड भी करा ली परन्तु आपसी लड़ाई के कारण आरडब्लूए चला नहीं पाये, इसलिये बिल्डर द्वारा मजबूरी में कई वर्षों तक कालोनी की रख रखाव बिना मेंटेनेन्स चार्ज लिये ही किया गया, ताकि मेहनत से बनायी कालोनी खराब ना हो। प्रबंधन ने कहा है कि कालोनिवासियों पर एग्रीमेंट और पजेसन लेटर के अनुसार हजारों रुपये प्रति घर मेंटेनेन्स चार्ज बकाया है। कालोनी में यूपीसीएल के नियमानुसार सिंगलपॉइंट अंडरग्राउंड बिजली कनेक्शन दिया है, तथा सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगाये हैं, सिंगल पॉइंट बिजली का दर 7.6 रुपये प्रति यूनिट आता है। कॉमन एरिया लाइट, स्ट्रीट लाइट, पानी की मोटर आदि का खर्चा जोड़कर प्रीपेड मीटर द्वारा नौ रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल लिया जाता है उससे भी बिजली का बिल पूरा नहीं हो पाता है, बिजली के रख रखाव की जिम्मेदारी आरडब्लूए की है जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कालोनी में कुछ लोग मेंटनेंस शुल्क कॉलोनी से कलेक्ट करते हैं परंतु वो रख रखाव नहीं कर रहे हैं। प्रबंधन ने आरोप लगाया कि उक्त लोग निजी स्वार्थ के लिए कालोनी को बदनाम कर रहे हैं। कालोनी में जो लोग मूलभूत समस्या की शिकायत कर रहे हैं उन्होंने ही कालोनी में सस्ते दामों में कई फ्लैट/मकान खरीद लिए हैं। प्रबंधन का आरोप है कि उक्त लोग चाहते हैं कि कालोनी में प्रापर्टी के रेट गिर जायें ताकि वो कम से कम दामों में फ्लैट या मकान खरीद सकें।

झाड़ी में मृत पड़ा मिला तेंदुआ का शव

गूलरभोज। तराई केंद्रीय वन प्रभाग के पीपलपड़ाव रेंज में एक झाड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में तेंदुए का शव मिला है। तेंदुए के गले में निशान मिलने से फंदे में फंसकर मौत होने का अंदेशा जताया जा रहा है। वन विभाग की टीम शव को कब्जे में लेकर पीपल पड़ाव रेंज कार्यालय ले गई। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही तेंदुए की मौत की वजह साफ हो सकेगी। बुधवार को हरिपुरा जलाशय के समीप जंगल से कुछ दूरी पर झाड़ी में ग्रामीणों ने तेंदुआ मृत मिला। सूचना पर पहुंची रेंज की टीम ने शव का मुआयना किया। तेंदुए के गले में घाव के निशान मिले हैं। रेंजर रूपनारायण गौतम ने बताया कि नर तेंदुए की उम्र दो से तीन साल के बीच है। प्रथम दृष्टया फंदे में फंस कर मौत की आशंका है। पोस्टमार्टम के बाद ही सही कारणों का पता चल पाएगा। माना जा रहा है कि किसी फंदे में फंसकर तेंदुए की मौत होने पर शव को फेंक दिया गया होगा।

कैरियर एंड गाइडेंस कार्यक्रम में छात्राओं को दिए टिप्स

गदरपुर(उद संवाददाता)। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदीशपुर में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु कैरियर एंड गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंड शिक्षाधिकारी गदरपुर के प्रतिनिधि विजय शंकर, प्रधानाध्यापक राप्रावि जगदीशपुर एवं कार्यक्रम विषय विशेषज्ञ श्रीमती श्रद्धा रानी प्रध ानाध्यापक रा0प्रा0वि0 धीमरी खत्ता द्वारा मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। विद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत की सुंदर प्रस्तुति दी गई । कार्यक्रम के नोडल अधिकारी राजेंद्र सिंह द्वारा कार्यक्रम का संचालन करते हुए छात्राओं को कैरियर का मार्गदर्शन भी किया गया।श्रीमती श्रद्धा रानी द्वारा समस्त बालिकाओं की उनके कैरियर के प्रति क्या सोच है?,यह जानने के लिए बालिकाओं को पर्ची पर अपने कैरियर के विषय में लिखकर ड्रॉप बॉक्स में डलवाया गया। छात्राओं की जिज्ञासाओं को विशेषज्ञ द्वारा कैरियर के क्षेत्र का मार्गदर्शन किया गया। बालिकाओं को कक्षा 11 में स्ट्रीम सेलेक्शन तथा कैरियर के अनुरूप क्या विषय लिए जाने चाहिए?,इस पर विशेषज्ञ के द्वारा मार्गदर्शन किया गया। विशेषज्ञ द्वारा बालिकाओं को तीन समूह मेंविभक्त कर कैरियर पर ब्रेनस्टॉर्मिंग,ग्रुप डिस्कशनक,कैरियर टोक भी कराया गया। श्री विजय शंकर द्वारा भी अपने वक्तव्य में कैरिअर के विभिन्न क्षेत्रों से छात्राओं को अवगत कराया। बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु एक क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। प्रधानाचार्य श्री एसके त्रिपाठी द्वारा भी छात्राओं को कैरिअर के क्षेत्र में मार्गदर्शन किया गया तथा सभी आगंतुकों एवं कार्यक्रम व्यवस्थापकों का अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हुए सभी को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में जयप्रकाश,धर्मवीर सिंह, राजकुमार जोशी,मंजू जोशी, शोभा रानी,शुभजीत राय तथा छात्राएं उपस्थित रही। सभी छात्रों ने कार्यक्रम में विशेषज्ञ के साथ बड़े ही उत्साह से भाग लेकर अपने कैरिअर के क्षेत्र को बखूबी समझा और उस दिशा में बढ़ने के लिए सार्थक प्रयास का वायदा भी किया गया।